माता चिन्तपूरणी मन्दिर न्यास चिन्तपूर्णी तहसील अम्ब जिला ऊना, हि०प्र० के लेखाओं पर अंकेक्षण प्रतिवेदन ।

अवधि 1/03 से 12/04

भाग-एक

1. गत अंकेक्षण :- गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है । अनिर्णीत अनुच्छेदों के निपटारे हेतु शीघ्र पग उठाये जाएँ तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए ।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 12.6.87 से 31.12.1995

1. पैरा 3(ख)	अनिर्णीत ।
2. पैरा 5	अनिर्णीत ।
3. पैरा 6(2)	अनिर्णीत ।
4. पैरा 6(3)	अनिर्णीत ।
5. पैरा 6(4)	पत्र सं० फिन(एल०)एच(2)सी(15)(14)187/86-33। खण्ड-6 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत ।
6. पैरा 6(5)	अनिर्णीत ।
7. पैरा 7	पत्र सं० फिन(एल०)एच(2)सी(15)(14)187/86-33। खण्ड-6 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत ।
3. पैरा 9	-यथोपरि-
9. पैरा 10	-यथोपरि-
10. पैरा 13	-यथोपरि-
11. पैरा 14(क)	-यथोपरि-
12. पैरा 14(ख)	-यथोपरि-
13. पैरा 15	यथोपरि-
14. पैरा 16(क)	-यथोपरि-
15. पैरा 17	पत्र सं० फिन(एल०)एच(2)सी(15)(14)187/86 खण्ड-6-3317, दिनांक 10.8.05 द्वारा आंशिक रूप से निर्णीत ।
16. पैरा 18(क)	---यथोपरि---- द्वारा निर्णीत ।
17. पैरा 18(ख)	-यथोपरि-
18. पैरा 19(क)	अनिर्णीत ।
19. पैरा 20(क)(1)	अनिर्णीत ।
20. पैरा 21	अनिर्णीत ।
21. पैरा 22	पत्र सं० फिन(एल०)एच(2)सी(15)(14)187/86 खण्ड-6-3317 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत
22. पैरा 23	अनिर्णीत ।
23. पैरा 24	अनिर्णीत ।

-2-

24. पैरा 26	पत्र सं0 फिन(एलए)एच(2)सी(15)(14)187/86 खण्ड-6-3317 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत।
25. पैरा 27	-यथोपरि-
26. पैरा 28	-यथोपरि-
27. पैरा 29(क)	अनिर्णीत।
28. पैरा 29(ख)	अनिर्णीत।
29. पैरा 30	अनिर्णीत।
30. पैरा 31	पत्र सं0 फिन(एलए)एच(2)सी(15)(14)187/86 खण्ड-6-3317 दिनांक 10.8.05 द्वारा आंशिक निर्णीत।
31. पैरा 32	अंशतः अनिर्णीत।
32. पैरा 33	अनिर्णीत।
33. पैरा 34	अनिर्णीत।
34. पैरा 35	अनिर्णीत।
35. पैरा 37	पत्र सं. फिन(एलए)एच(2)सी(15)(14)187/86 खण्ड-6-3317 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत
36. पैरा 38	अनिर्णीत।
37. पैरा 39	पत्र सं0 फिन(एलए)एच(2)सी(15)(14)187/86, खण्ड-6-3317 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत।
38. पैरा 40	-यथोपरि-
39. पैरा 41	पत्र सं0 फिन(एलए)एच(2)सी(15)(14)187/86-खण्ड-6-3317 दिनांक 10.8.05 द्वारा आंशिक निर्णीत।
40. पैरा 42	----यथोपरि------ द्वारा निर्णीत।
41. पैरा 43	अनिर्णीत।
42. पैरा 44	अनिर्णीत।
43. पैरा 45	अनिर्णीत।
44. पैरा 46	पत्र सं0 फिन(एलए)एच(2)सी(15)(14)187/86 खण्ड-6-3317 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत।
45. पैरा 47	अनिर्णीत।
46. पैरा 48	अनिर्णीत।
47. पैरा 49	अनिर्णीत।
48. पैरा 52	पत्र सं0 फिन(एलए)एच(2)सी(15)(14)187/86 खण्ड-6-3317 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत।
49. पैरा 53	-यथोपरि-
50. पैरा 54	-यथोपरि-
51. पैरा 55	अनिर्णीत।
52. पैरा 56	अनिर्णीत।
53. पैरा 57	अनिर्णीत।
54. पैरा 58	पत्र सं0 फिन(एलए)एच(2)सी(15)(14)187/86-खण्ड-6, 3317 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत।
55. पैरा 59	-यथोपरि-

56. पैरा 60 अनिर्णीत ।
57. पैरा 61(क) अनिर्णीत ।
58. पैरा 61(ख) अनिर्णीत ।
59. पैरा 61(ग) अनिर्णीत ।
60. पैरा 61(घ) अनिर्णीत ।
61. पैरा 61(ङ.) अनिर्णीत ।
62. पैरा 61(च) अनिर्णीत ।
63. पैरा 61(छ) अनिर्णीत ।
64. पैरा 61(ज) अनिर्णीत ।
65. पैरा 61(झ) अनिर्णीत ।
66. पैरा 61(ञ) अनिर्णीत ।
67. पैरा 61(ट) अनिर्णीत ।
68. पैरा 62 पत्र सं० पिन(एलए)एच(2)सी(15)(14)(187/86-खण्ड-6-3317 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत
69. पैरा 63 -यथोपरि-
70. पैरा 64 "यथोपरि-
71. पैरा 65 अनिर्णीत ।
72. पैरा 66 अनिर्णीत ।
73. पैरा 67(क,ख,ग) अनिर्णीत ।
74. पैरा 68 अनिर्णीत ।
75. पैरा 69 अंशत अनिर्णीत ।
76. पैरा 70(क) पत्र सं० पिन(एलए) 2(सी)(15)(14)(187/86-खण्ड-6-3317 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत
77. पैरा 70(1) अनिर्णीत ।
78. पैरा 70(2) अनिर्णीत ।
79. पैरा 70(3) अनिर्णीत ।
80. पैरा 70(4) अनिर्णीत ।
81. पैरा 70(5) । अनिर्णीत ।
82. पैरा 70(6) निर्णीत ।
83. पैरा 70(7) निर्णीत ।
84. पैरा 70(10) अनिर्णीत ।
85. पैरा 70(11) अनिर्णीत ।
86. पैरा 70(12) अनिर्णीत ।
87. पैरा 71(क)(1) अनिर्णीत ।
88. पैरा 71(क)(2) अनिर्णीत ।
89. पैरा 71(क)(3) अनिर्णीत ।
90. पैरा 71(क)(4) अनिर्णीत ।
91. पैरा 71(क)(5) अनिर्णीत ।
92. पैरा 71(क)(6) अनिर्णीत ।
93. पैरा 71(ख)(1) अनिर्णीत ।
94. पैरा 71(ख)(2) अनिर्णीत ।

95. पैरा 71(ख)(3) अनिर्णीत ।
96. पैरा 71(ख)(4) अनिर्णीत ।
97. पैरा 73 अनिर्णीत ।
98. पैरा 75(ख) अनिर्णीत ।
99. पैरा 75(ख)(3) निर्णीत ।
100. पैरा 75(ख)(4) अनिर्णीत ।
101. पैरा 76(3) अनिर्णीत ।
102. पैरा 76(4) अनिर्णीत ।
103. पैरा 76(6) निर्णीत ।
104. पैरा 77 अनिर्णीत ।
105. पैरा 78 अनिर्णीत ।
106. पैरा 79(2) अनिर्णीत ।
107. पैरा 79(3) अनिर्णीत ।
108. पैरा 79(4) अनिर्णीत ।
109. पैरा 80(2) अनिर्णीत ।
110. पैरा 82(1) अनिर्णीत ।
111. पैरा 82(2) निर्णीत ।
112. पैरा 82(3) अनिर्णीत ।
113. पैरा 82(5) अनिर्णीत ।
114. पैरा 82(6) अनिर्णीत ।
115. पैरा 83 अनिर्णीत ।
116. पैरा 85(1) अनिर्णीत ।
117. पैरा 85(2) अनिर्णीत ।
118. पैरा 85(3) अंशत: अनिर्णीत ।
119. पैरा 88(1) अनिर्णीत ।
120. पैरा 88(2) अनिर्णीत ।
121. पैरा 89 अनिर्णीत ।
122. पैरा 90 अनिर्णीत ।
123. पैरा 92 अनिर्णीत ।
124. पैरा 93 अनिर्णीत ।
125. पैरा 95 अनिर्णीत ।
126. पैरा 96 अनिर्णीत ।
127. पैरा 97 अनिर्णीत ।
128. पैरा 99(क) अनिर्णीत ।
129. पैरा 99(ग) अनिर्णीत ।
130. पैरा 99(घ) अनिर्णीत ।
131. पैरा 99(च) अनिर्णीत ।
132. पैरा 99(छ)(1) निर्णीत ।
133. पैरा 99(छ)(2) अनिर्णीत ।
134. पैरा 99(ज) अनिर्णीत ।
135. पैरा 99(झ) अनिर्णीत ।
136. पैरा 99(ञ) अनिर्णीत ।

137. पैरा 99(ट) निर्णीत ।✓
138. पैरा 99(ठ)(1) अनिर्णीत ।✓
139. पैरा 99(ठ)(2) अनिर्णीत ।✓
140. पैरा 99(ड•)(1) निर्णीत ।✓
141. पैरा 99(ड•)(2) निर्णीत ।✓
142. पैरा 99(त) निर्णीत ।✓
143. पैरा 99(थ) निर्णीत ।✓
144. पैरा 99(द) निर्णीत ।✓
145. पैरा 107 अनिर्णीत ।✓
146. पैरा 108(न) पत्र संख्या : फिन(एलए)(एच)(2)सी)(15)(14)(187/8
खण्ड-6-3317 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत
147. पैरा 118 -यथोपरि-✓
148. पैरा 121 अनिर्णीत ।✓
149. पैरा 128(क) अनिर्णीत ।✓
150. पैरा 128(ख) निर्णीत ।✓
151. पैरा 128(ग) अनिर्णीत ।✓
152. पैरा 129 अनिर्णीत ।
153. पैरा 130 पत्र सं0 फिन(एलए)(एच)(2)सी)(15)(14)(187/86-खण्ड
3317 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत ✓
154. पैरा 131 अनिर्णीत ।✓

(ख) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.1999 से 31.12.1999.</u>

1. पैरा 10(ख) अनिर्णीत ।
2. पैरा 11 पत्र संख्या : फिन(एलए)(एच)(2)सी)(15)(14)(187/86-
6 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत ✓
3. पैरा 12 अनिर्णीत ✓
4. पैरा 14 पत्र संख्या : फिन(एलए)(एच)(2)सी)(15)(14)(187/86-खण्ड
3317 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत ✓
5. पैरा 15 अनिर्णीत ।
6. पैरा 17(पत्र सं0 फिन(एलए)(एच)(2)सी)(15)(14)(187/86-खण्ड-6
3317 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत ✓
7. पैरा 18 अनिर्णीत ।✓
8. पैरा 20 अनिर्णीत ।✓
9. पैरा 21 पत्र संख्या : फिन(एलए)(एच)(2)सी)(15)(14)(187/86-खण्
3317 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत ✓
10. पैरा 22(1) अनिर्णीत ।✓
11. पैरा 22(2) अनिर्णीत ।✓
12. पैरा 23 अनिर्णीत ।✓
13. पैरा 24 अनिर्णीत ।✓
14. पैरा 25 अनिर्णीत ।✓
15. पैरा 27(क) अनिर्णीत ।✓

16. पैरा 28 पत्र सं0 पिन(एलए)(एच)(2)(सी)(15)(14)187/86-खण्ड-6-
3317 दिनांक 10.8.05 द्वारा आंशिक निर्णीत ।

17. पैरा 29(क) पत्र संख्या : पिन(एलए)(एच)(2)(सी)(15)(14)187/86-खण्ड-
6-3317, दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत

18. पैरा 31 -यथापरि-

19. पैरा 32 -यथापरि-

20. पैरा 33(क) अतः अनिर्णीत ।

21. पैरा 33(ग) पत्र संख्या : पिन(एलए)(एच)(2)(सी)(15)(14)187/86-खण्ड
-6,3317 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत

22. पैरा 34(1) अनिर्णीत ।

23. पैरा 34(2) अनिर्णीत ।

24. पैरा 35 अनिर्णीत ।

25. पैरा 36 अनिर्णीत ।

26. पैरा 37(क) पत्र संख्या : पिन(एलए)(एच)(2)(सी)(15)(14)187/86-खण्ड
6-3500 दिनांक 24.8.05 द्वारा निर्णीत

27. पैरा 37(ख व ग) अनिर्णीत ।

28. पैरा 38 अनिर्णीत ।

29. पैरा 39 अनिर्णीत।

30. पैरा 40 अनिर्णीत ।

31. पैरा 41 निर्णीत

32. पैरा 42 अनिर्णीत ।

33. पैरा 43 अनिर्णीत ।

34. पैरा 44 अनिर्णीत ।

35. पैरा 45 निर्णीत

36. पैरा 46(क) निर्णीत ।

37. पैरा 46(ख) अनिर्णीत ।

38. पैरा 46(ग) अनिर्णीत ।

39. पैरा 47 अनिर्णीत ।

40. पैरा 48 "यथापरि-

41. पैरा 49(क) यथापरि-

42. पैरा 49(ख) निर्णीत

43. पैरा 49(ग) अनिर्णीत ।

44. पैरा 49(घ) यथापरि

45. पैरा 49(ङ.) यथापरि

46. पैरा 50 यथापरि

47. पैरा 51 यथापरि

48. पैरा 52 यथापरि

49. पैरा 53 पत्र सं0 पिन(एलए)(एच)(2)(सी)(15)(14)187/86-खण्ड-6-3
दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत ।

50. पैरा 54 अनिर्णीत ।

51. पैरा 55(क) पत्र सं0 पिन(एलए)(एच)(2)(सी)(15)(14)187/86-खण्ड-
-3500 दिनांक 24.8.05 द्वारा निर्णीत

...7.

52. पैरा 55 (ख) अनिर्णीत ।
53. पैरा 55 (ग) यथोपरि ।
54. पैरा 56 (क) पत्र सं० फिन (एलए) एव (2) सी (5) (14) 187/86-खण्ड-35ए दिनांक 24.8.05 द्वारा निर्णीत ।
55. पैरा 56 (ख) अनिर्णीत ।
56. पैरा 56 (ग) यथोपरि ।
57. पैरा 60 पत्र सं० फिन (एलए) एव (2) सी (5) (14) 187/86-खण्ड-6-3317 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत ।
58. पैरा 61 (क) अंशत: अनिर्णीत ।
59. पैरा 65 (क) अनिर्णीत ।
60. पैरा 65 (ख) यथोपरि ।
61. पैरा 65 (ग) यथोपरि ।
62. पैरा 65 (घ) यथोपरि ।
63. पैरा 65 (ङ.) यथोपरि ।
64. पैरा 65 (च) यथोपरि ।
65. पैरा 65 (घ) यथोपरि ।
66. पैरा 65 (ज) यथोपरि ।
67. पैरा 65 (झ) यथोपरि ।

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2000 से 31.12.2000

1. पैरा 6 अनिर्णीत ।
2. पैरा 7 यथोपरि ।
3. पैरा 8 यथोपरि ।
4. पैरा 10 यथोपरि ।
5. पैरा 12 यथोपरि ।
6. पैरा 14 (क) पत्र संख्या : फिन (एलए) एव (2) सी (5) (14) 187/86-खण्ड-3317 दिनांक 10.8.05 द्वारा आंशिक निर्णीत ।
7. पैरा 15 पत्र सं० फिन (एलए) एव (2) सी (5) (14) 187/86-खण्ड-6-33 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत ।
8. पैरा 17 अनिर्णीत ।
9. पैरा 18 यथोपरि ।
10. पैरा 19 पत्र सं० फिन (एलए) एव (2) सी (5) (14) 187/86-खण्ड-6-33 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत ।
11. पैरा 20 (क) यथोपरि ।
12. पैरा 21 (ख) अनिर्णीत ।
13. पैरा 21 (ग) पत्र संख्या : फिन (एलए) एव (2) सी (5) (14) 187/86-ख 33 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत ।
14. पैरा 22 यथोपरि ।
15. पैरा 24 (क) अनिर्णीत ।
16. पैरा 24 (ख) यथोपरि ।

........8.

17. पैरा 24(ग) पत्र सं० फिन(एलए)एच(2)सी(15)(14)187/86-खण्ड-
3317 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत।

18. पैरा 26 अनिर्णीत।

19. पैरा 27 यथोपरि

20. पैरा 29(क) यथोपरि।

21. पैरा 29(ख) पत्र संख्या : फिन(एलए)एच(2)सी(15)(14)187/86-खण्ड-
6-3317 दिनांक 10.8.05 ~~[illegible]~~ द्वारा निर्णीत

22. पैरा 32 अनिर्णीत।

23. पैरा 33 यथोपरि

24. पैरा 34 यथोपरि

25. पैरा 35 यथोपरि

26. पैरा 36 यथोपरि

27. पैरा 38 यथोपरि

28. पैरा 39 यथोपरि

29. पैरा 40 यथोपरि

30. पैरा 41 यथोपरि

31. पैरा 42(क) पत्र संख्या : फिन(एलए)(2)सी(15)(14)187/86-खण्ड-6-
3317 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत।

32. पैरा 43 अनिर्णीत।

33. पैरा 44 यथोपरि

34. पैरा 45 यथोपरि

35. पैरा 46(क) यथोपरि

36. पैरा 46(ख) यथोपरि

37. पैरा 48(क) पत्र सं० फिन(एलए)एच(2)सी(15)(14)187/86-खण्ड-[illegible]
3317 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत

38. पैरा 48(ख) यथोपरि

39. पैरा 50(क) निर्णीत।

40. पैरा 50(ख) निर्णीत।

41. पैरा 51(क) पत्र सं० फिन(एलए)(2)सी(15)(14)187/86-खण्ड-6-3[illegible]
दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत।

42. पैरा 51(ख) अनिर्णीत।

43. पैरा 52 पत्र संख्या : फिन(एलए)(2)सी(15)(14)187/86-खण्ड-[illegible]
3317 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत।

44. पैरा 54 यथोपरि

45. पैरा 57(क) अनिर्णीत।

46. पैरा 60 अनिर्णीत।

47. पैरा 61(क) यथोपरि

48. पैरा 61(ख) यथोपरि

49. पैरा 61(ग) यथोपरि

50. पैरा 62 यथोपरि

51. पैरा 63 यथोपरि

52. पैरा ~~46~~ 64 — निर्णीत
53. पैरा 66(क) — अनिर्णीत।
54. पैरा 66(ख) — निर्णीत
55. पैरा 67 — निर्णीत
56. पैरा 69(क) — अनिर्णीत।
57. पैरा 69(ख) — यथोपरि
58. पैरा 69(ग) — यथोपरि।
59. पैरा 69(घ) — यथोपरि।
60. पैरा 69(ङ) — यथोपरि
61. पैरा 69(च) — यथोपरि
62. पैरा 69(छ) — यथोपरि
63. पैरा 69(ज) — यथोपरि

(घ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/01 से 12/02</u>

1. पैरा 3 — निर्णीत
2. पैरा 4 — निर्णीत
3. पैरा 5 — निर्णीत
4. पैरा 6(क) — अनिर्णीत।
5. पैरा 6(ख) — यथोपरि
6. पैरा 6(ग) — यथोपरि
7. पैरा 7(क) — यथोपरि
8. पैरा 7(1)(2) — यथोपरि
9. पैरा 8(1) — यथोपरि
10. पैरा 8(2) — यथोपरि
11. पैरा 8(3) — यथोपरि
12. पैरा 9(1) पत्र सं0 फिन(एलए)एव(2)सी(15)(14)187/06-खण्ड-6-3317 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत
13. पैरा 9(क) — अनिर्णीत।
14. पैरा 9(ख) — यथोपरि
15. पैरा 9(ग) — यथोपरि
16. पैरा ~~99~~ 9(घ) — यथोपरि
17. पैरा 10 — निर्णीत
18. पैरा 11 — निर्णीत
19. पैरा 12 — निर्णीत
20. पैरा 14 — अनिर्णीत।
21. पैरा 15 — यथोपरि
22. पैरा 16 — यथोपरि
23. पैरा 17 पत्र संख्या : फिन(एलए)एव(2)सी(15)(14)187/86-खण्ड-6-3317 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत
24. पैरा 18(क) — निर्णीत
25. पैरा 18(ख) — अनिर्णीत।
26. पैरा 19 — यथोपरि
27. पैरा 20 — यथोपरि

28. पैरा 21 यथोपरि।
29. पैरा 22 यथोपरि।
30. पैरा 23 यथोपरि।
31. पैरा 24 यथोपरि।
32. पैरा 25 (क) यथोपरि।
33. पैरा 25 (ख) पत्र सं0 फिन (एलए) एव (2) सी (15) (14) 187/86-खण्ड-
3317 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत।
34. पैरा 25 (ग) अनिर्णीत।
35. पैरा 25 (घ) निर्णीत।
36. पैरा 26 (क) अनिर्णीत।
37. पैरा 26 (ख) यथोपरि।
38. पैरा 26 (ग) यथोपरि।
39. पैरा 26 (घ) पत्र सं0 फिन (एलए) एव (2) सी (15) (14) 187/86-खण्ड
3317 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत।
40. पैरा 26 (ङ.) यथोपरि।
41. पैरा 27 निर्णीत।
42. पैरा 28 अनिर्णीत।
43. पैरा 29 (क) यथोपरि।
44. पैरा 29 (ख) यथोपरि।
45. पैरा 30 पत्र सं0 फिन (एलए) एव (2) सी (15) (14) 187/86-खण्ड-6-
3317 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत।
46. पैरा 31 अनिर्णीत।
47. पैरा 32 (क) यथोपरि।
48. पैरा 32 (ख) यथोपरि।
49. पैरा 33 पत्र सं0 फिन (एलए) एव (2) सी (15) (14) 187/86-खण्ड-6
3317 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत।
50. पैरा 34 अनिर्णीत।
51. पैरा 35 (क) यथोपरि।
52. पैरा 35 (ख) यथोपरि।
53. पैरा 36 यथोपरि।
54. पैरा 37 निर्णीत।
55. पैरा 38 अनिर्णीत।
56. पैरा 39 यथोपरि।
57. पैरा 40 निर्णीत।
58. पैरा 41 अनिर्णीत।
59. पैरा 42 यथोपरि।
60. पैरा 43 यथोपरि।
61. पैरा 44 पत्र सं0 फिन (एलए) एव (2) सी (15) (14) 187/86-खण्ड-6-
3317 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत।
62. पैरा 45 अनिर्णीत।
63. पैरा 46 यथोपरि

64.	पैरा 47	निर्णीत।
65.	पैरा 48	अनिर्णीत।
66.	पैरा 49	यथोपरि।
67.	पैरा 50(क)	अनिर्णीत।
68.	पैरा 50(ख)	यथोपरि।
69.	पैरा 51	यथोपरि
70.	पैरा 52	यथोपरि
71.	पैरा 53	यथोपरि
72.	पैरा 54	यथोपरि
73.	पैरा 55(क)	यथोपरि
74.	पैरा 55(ख)	यथोपरि
75.	पैरा 55(ग)	यथोपरि
76.	पैरा 56	यथोपरि
77.	पैरा 57	यथोपरि
78.	पैरा 58	पत्र सं0 पिन(एलए)(एच)(2)सी(15)(14)187/86-खण्ड-6-3317 दिनांक 10.8.05 द्वारा निर्णीत
79.	पैरा 59	निर्णीत
80.	पैरा 60	अनिर्णीत।
81.	पैरा 61(क)	यथोपरि
82.	पैरा 61(ख)	यथोपरि
83.	पैरा 61(ग)	यथोपरि,
84.	पैरा 62	अनिर्णीत।
85.	पैरा 63	यथोपरि
86.	पैरा 64	निर्णीत
87.	पैरा 65	अनिर्णीत।
88.	पैरा 66	यथोपरि।
89.	पैरा 67	यथोपरि।
90.	पैरा 68(क से ख)	अनिर्णीत।
91.	पैरा 69	अनिर्णीत।
92.	पैरा 70	यथोपरि।
93.	पैरा 71	निर्णीत।
94.	पैरा 72	निर्णीत।
95.	पैरा 73	अनिर्णीत।
96.	पैरा 74	यथोपरि
97.	पैरा 75	निर्णीत।
98.	पैरा 76	अनिर्णीत।
99.	पैरा 77	यथोपरि,
100.	पैरा 78	निर्णीत
101.	पैरा 79	निर्णीत पत्र सं0 पिन(एलए)(एच)(2)सी(15)(14)187/86-खण्ड-6-3317 दिनांक 10.8.05 के द्वारा।
102.	पैरा 80	निर्णीत
103.	पैरा 81	अनिर्णीत
104.	पैरा 82	यथोपरि।

.....12.

105.	पैरा 83	यथोपरि
106.	पैरा 84	निर्णीत
107.	पैरा 85	निर्णीत
108.	पैरा 86	निर्णीत
109.	पैरा 87	निर्णीत
110.	पैरा 88	अनिर्णीत
111.	पैरा 89 (क)	यथोपरि
112.	पैरा 89 (ख)	यथोपरि
113.	पैरा 90	निर्णीत
114.	पैरा 91	निर्णीत
115.	पैरा 92	निर्णीत
116.	पैरा 93 (क)	निर्णीत
117.	पैरा 93 (ख)	अनिर्णीत
118.	पैरा 93 (ग)	अनिर्णीत
119.	पैरा 93 (घ)	अनिर्णीत
120.	पैरा 94	अनिर्णीत
121.	पैरा 95	यथोपरि
122.	पैरा 96	यथोपरि
123.	पैरा 97 (1)	यथोपरि
124.	पैरा 97 (2)	यथोपरि
125.	पैरा 98	निर्णीत
126.	पैरा 99 (1)	अनिर्णीत
127.	पैरा 99 (2)	यथोपरि
128.	पैरा 100	यथोपरि
129.	पैरा 101	यथोपरि
130.	पैरा 102	यथोपरि
131.	पैरा 103 (1)	यथोपरि
132.	पैरा 103 (2)	यथोपरि
133.	पैरा 104	यथोपरि
134.	पैरा 105	यथोपरि
135.	पैरा 106	यथोपरि

लगातार पृ...13.

भाग- 2

2\. **वर्तमान अंकेक्षण :-** 1/03 से 12/04 की अवधि के लेखाओं का अंकेक्षण जिसके परिणाम वर्णित अनुच्छेदों में दिये गये हैं दिनांक 27.4.2005 से 30.7.2005 तक श्री बलदेव राज शर्मा, अनुभाग अधिकारी द्वारा किया गया। विस्तृत जांच के लिये मास 8/03, 10/03, 4/04 व 10/04 का चयन किया गया।

3\. **वित्तीय स्थिति :-** 1/03 से 12/04 की अवधि के लेखाओं की वित्ती स्थिति निम्न प्रकार से है।

	1/03 से 12/03	1/04 से 12/04
1. गत शेष	10,09,68,658.91	11,50,73,950.99
2. प्राप्तियाँ/आय	5,62,72,712.08	6,53,13,191.39
3. कुल	15,72,41,370.99	18,03,87,142.38
4. व्यय	4,21,67,420.00	4,31,58,498.00
5. अन्तिम शेष	11,50,73,950.99	13,72,28,644.38

(ख) 31.12.2004 को अन्तिम शेष का विवरण

1. बैंक/डाकघर बचत खाते में जमा राशि परिशिष्ट "क"	16928579.38
2. सावधि जमा खातों में निवेश परिशिष्ट "ख"	120263992.00
3. हस्तगत राशि	77708.00
	13,72,70,279.38
4. चैक जो जमा किया गया परन्तु बैंक ने 31.12.04 तक बैंक खाते में जमा नहीं हुये, चैक सं० 67307/4.11.2004	101.00
	13,72,70,380.38

5\. चैक जो कि जारी किये गये लेकिन 31.12.04 तक बैंक में भुगतान के लिये प्रस्तुत नहीं हुए

चैक सं.	तिथि	राशि	
910148	18.12.04	20,000	
910150	18.12.04	14,560	
910151	18.12.04	7,176	41,736.00
			13,72,28,644.38

4\. **अंकेक्षण शुल्क:-** 1/03 से 12/04 की अवधि के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क रु० 84,600/- रुपये आंका गया। मन्दिर अधिकारी मन्दिर न्यास चिन्तपूर्णी को उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा परीक्षक स्थानीय निधि लेखा, हि०प्र० शिमला-9 के नाम प्रेषित करने का अंकेक्षण अधिमाचना सं० 215 दिनांक 30.7.2005 के द्वारा अनुरोध किया गया

5. अनियमितताएं :-

अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार वर्ष 2003 व 2004 में कुल 337309/=रु. की राशि के फटे पुराने एवं मैले नोटों को 6 प्रतिशत कमीशन के आधार पर श्री मदन लाल शर्मा लुधियाना से बदले गए। परिणामस्वरूप वर्ष 2003 व 2004 में कुल 20237/=रु. की राशि का कमीशन के रूप में भुगतान किया गया जो कि नियमानुसार उचित नहीं है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार फटे पुराने एवं मैले नोटों को बदलने की सुविधा राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुछ विशेष शाखाओं में उपलब्ध है। अतः इस सुविधा का लाभ न उठाने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इस राशि की वसूली की जाए तथा भविष्य में फटे पुराने एवं मैले नोटों को केवल अधिकृत बैंकों में ही बदलना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

दिनांक	नोट	कमीशन
20.3.03	45992	2760
23.4.03	33539	2012
9.7.03	46103	2766
10.9.03	49034	2942
26.11.03	30481	1828
14.2.04	18169	1090
21.5.04	41189	2471
31.8.04	43714	2623
~~31.8.04~~ 27.11.04	29088	1745
	337309	20237

6. संस्था द्वारा दिनांक 3.8.03 को चार बकरों की नीलामी की गई। जिसमें श्री अशोक कुमार जौहर की कुल 2400/=रु. की राशि की अधिकतम बोली थी मगर जांच में पाया गया कि उससे रसीद संख्या

3083/97 दिनांक 3.8.03 के द्वारा केवल 1900/=रु. ही प्राप्त करके रसीद जारी की गई। इस प्रकार रु0 600/=रु. की राशि कम प्राप्त की ग अत: इस प्रकरण में दोषी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाई करके इस राशि की वसूली की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. संस्था द्वारा दिनांक 15.8.03 को रसीद संख्या 3115/27 के द्वारा एक बकरा प्राप्त किया गया मगर सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि उपरोक्त रसीद के द्वारा प्राप्त बकरे की नीलामी हुई ही नहीं। अत: वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण के समय अवगत करवाया जाए अन्यथा उचित कार्यवाई करके दोषी से बकरे की कीमत वसूल की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा दान में प्राप्त बकरों का स्टाक रजिस्टर नहीं बनाया गया था जिसके बिना कितने बकरे प्राप्त हुए और कितने बकरों की नीलामी की गई तथा बकरों की नीलामी से कितनी राशि प्राप्त हुई का सही आंकलन नहीं किया जा सकता। अत: दान द्वारा प्राप्त बकरों का स्टाक रजिस्टर न लगाने का औचित्य स्पष्ट करें तथा भविष्य में दान द्वारा प्राप्त बकरों का स्टाक रजिस्टर नियमानुसार बनाया जाए तथा प्राप्त बकरों को दर्ज किया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

9. **सोना :-**

अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में प्राप्त सोना निम्न विवरणानुसार स्टाक रजिस्टर में दर्ज वजन में कम/अधिक दर्शाया गया। अत: कीमती सोने को स्टाक रजिस्टर में वजन में कम/अधिक दिखाए जाने का औचित्य स्पष्ट करें अथवा स्टाक रजिस्टर में कम गणना किए गए सोने की वसूली सम्बन्धित दोषी कर्मचारी/अधिकारी से वर्तमान बाजार मूल्य पर कर के मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

दिनांक	दान में प्राप्त सोना			स्टाक में लिया गया			अन्तर कम		अधिक
	किग्रा.	ग्रा.	मि.ग्रा.	किग्रा.	ग्राम	मिग्रा.	किग्रा.	ग्रा.	मिग्रा.
5.8.03	-	19	300	-	20	300	-	-	1.000
15.8.03	-	34	900	-	34	300	-	600	-
17.8.03	-	89	100	-	90	100	-	-	1.000
19.8.03	-	8	500	-	8	200	-	300	-
21.8.03	-	28	600	-	18	600	10	000	-
5.4.04		23	300		23	200	0	100	-
15.10.04		36	400		35	900	0	500	-

10. **चांदी :-**

अंकेक्षण में पाया गया कि संस्था द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में प्राप्त चांदी निम्न विवरणानुसार स्टाक रजिस्टर में दर्ज वजन में कम/अधिक दर्शाई गई। अत: प्राप्त चांदी को स्टाक रजिस्टर में दर्ज वजन से कम/अधिक दर्शाए जाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए स्टाक रजिस्टर में कम गणना में लिए गए चांदी की वसूली सम्बन्धित दोषी कर्मचारी/अधिकारी से वर्तमान बाजार मूल्य पर करके मन्दिर न्यास निधि में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

दिनांक	दान में प्राप्त चांदी		स्टाक में लिया चांदी		अन्तर कम		अधिक	
	किग्रा.	ग्राम	कि.	ग्रा.	कि.	ग्रा.	कि.ग्रा.	ग्राम.
1.8.03	1.	851	1.	840	—	11	—	—
5.8.03	3	400	3	408	-	-	-	8
9.8.03	-	948	-	966	-	-	-	18
12.8.03	2	486	2	361	-	125	-	-
13.8.03		387	-	366	-	21	-	-

14.8.03	-	566	-	756	-	-	-	90
16.8.03	1	111	1	106	-	5	-	-
23.8.03	-	452	-	466	-	-	-	14
3.10.03	1	344	1	314	-	30	-	-
4.10.03	2	886	2	856	-	30	-	-
5.10.03	1	219	1	229	-	-	-	10
12.10.03	-	638	-	538	-	100	-	-
17.10.03	-	624	-	617	-	7	-	-
19.10.03	-	883	-	873	-	10	-	-
28.10.03	-	808	-	708	-	100	-	-
30.10.03	-	544	-	543	-	1	-	-
3.4.04	1	836	1	826		010	-	—
14.4.04	0	695	0	686	-	009	—	—
16.4.04	1	813	1	521	-	292	—	—
18.4.04	0	705	0	675	0	030	—	—
25.4.04	1	076	1	066	0	010	—	—
28.4.04	0	756	0	756	0	010	—	—
15.10.04	3	836	2	994	0	842	—	—
16.10.04	1	109	1	093	0	016	—	—
23.10.04	2	535	2	602	-	—	-	0.067
26.10.04	1	176	1	171	0	005 -		

11. संस्था को मास 8/03 में सोना चाँदी स्टाक रजिस्टर के अनुसार कुल 39.873 किलोग्राम चाँदी दान में प्राप्त हुआ मगर जाँच में पाया गया कि योग में गलती के कारण मास 8/03 में कुल 38.883 किलोग्राम चाँदी ही दान में प्राप्त दर्शाया गया । इसके परिणामस्वरूप इसी ही अन्तिम शेष को आगे उठाया गया। इस प्रकार कुल 990 ग्राम चाँदी स्टाक रजिस्टर में कम दर्शाई गई। अतः स्टाक में कम दर्शाई गई चाँदी का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई करके कम दर्शाए गए चाँदी का बाजार मूल्य निर्धारित करके उस राशि की वसूली दोषी कर्मचारी/अधिकारी से की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

12. **चढ़ावा रजिस्टर :-**

मन्दिर न्यास चिन्तपूर्णी के अंकेक्षण अवधि 1/03 से 12/04 के चयनित मासों में दान द्वारा प्राप्त सोना छत्तर जो रसीद सं. 3204/000020 दिनांक 1.4.04 के अन्तर्गत वजन 2 ग्राम व रसीद सं. 3297/000072 दिनांक 26.10.04 के अन्तर्गत प्राप्त चाँदी छत्तर वजन 14 ग्राम को दैनिक चढ़ावा रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। अतः उपरोक्त मदों से सम्बन्धित स्टाक प्रविष्टि आगामी अंकेक्षण में

दर्शाई जाए अन्यथा वसूली बाजार दर से आंक कर उचित माध्यम से करके मन्दिर निधि में जमा करवाई जाए।

13. **सोना व चांदी स्टाक रजिस्टर :-**

(क) सोना :-

सोना धातु के स्टाक रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 20.10.04 को सोना धातु का योग 356 ग्राम के स्थान पर 256 ग्राम लगाया गया। अतः इस प्रकार 100 ग्राम का योग गणना में कम लगाया गया जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए भण्डार रजिस्टर में कम दर्शाए गए सोना धातु को भण्डार में दर्शाया जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें ।

(ख) स्टाक रजिस्टर (चांदी) :-

मास 4/04 में सोना व चांदी स्टाक रजिस्टर के अनुसार दिनांक 19.4.04 को चांदी का योग 22.405 किलोग्राम के स्थान पर 21.405 कि.ग्रा. लगाया गया था। इस प्रकार गणना में 1.000 किलोग्राम चांदी कम लिया गया इसके साथ दिनांक 28.4.04 को चांदी का योग 29.788 किलोग्राम के स्थान पर 28.906 किलोग्राम दर्शाया गया। अतः गणना में 1.882 किलोग्राम चांदी गणना में कम लिया गया। कम दर्शाई गई चांदी का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही करके कम दर्शाए गये चांदी का बाजार मूल्य निर्धारित करके राशि की वसूली उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) स्टाक रजिस्टर (सोना) :-

मास 10/04 में सोना व चांदी स्टाक रजिस्टर के अनुसार दिनांक 20.10.04 को सोने का योग 356 ग्राम के स्थान पर 256 ग्राम लगाया गया। अतः 100 ग्राम से उक्त दिनांक को योग कम लगाया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। नियमानुसार कार्यवाही करके कम दर्शाए सोने का बाजार मूल्य पर वसूली दोषी अधिकारी/कर्मचारी से की जाए।

Already included in 13(क)

14. संस्था के यात्री भवन भरवाई के आगंतुक रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि यात्री भवन में ठहरे यात्रियों के निम्न

विवरणानुसार आने या जाने का समय या जाने की दिनांक का विवरण नहीं दिया गया था जिसके कारण उससे प्राप्त राशि की सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकती। इस प्रकार आगंतुक रजिस्टर के रख रखाव में यह गम्भीर अनियमितता है। अत: वांछित कार्यवाई करके दोषी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाई की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

आगंतुक संख्या	दिनांक	कमरा नं.	प्राप्त राशि
701	1.8.03	203	100
734	2.8.03	311	250
736	2.8.03	109	250
737	2.8.03	304	100
783	3.8.03	213	100
794	3.8.03	हाल	500
795	3.8.03	313	100
933	30.8.03	105	150
934	30.8.03	212, 213	200
935	30.8.03	103, 104	650
936	30.8.03	207, 211	350
937	30.8.03	209	125
938	30.8.03	109	250
939	30.8.03	215	100
940	30.8.03	206, 208	250
941	30.8.03	217, 218	200
942	30.8.03	203, 204	200
943	30.8.03	205	100
944	30.8.03	210, 215	225
945	30.8.03	302, 303	200
946	30.8.03	311, 312, 313, 315	550
947	30.8.03	304, 305	200
948	30.8.03	308-309	200
949	30.8.03	306, 307	200
950	30.8.03	316, 317	200
951	30.8.03	201, 202	200
952	30.8.03	210	100
1057	30.10.03	108, 104	300
1058	30.10.03	106	150
2268	10.10.04	211	250

2289	20.10.04	109	250
2290	20.10.04	105	150
2292	23.10.04	102	150
2293	23.10.04	107	150
2294	23.10.04	104	150
2295	24.10.04	104, 105 व 106	450
2228	2.10.04	102, 104	300
2229	2.10.04	105, 106	300
2230	2.10.04	207	100
2231	-"-	210	125
2232	-"-	105	150
2233	3.10.04	213	100
2234	6.10.04	207	100
2235	6.10.04	216	100
2236	-"-	102, 104,	300
2237	-"-	105	150
2238	6.10.04	107	150
2239	-"-	206	150
2240	-"-	210	150
2242	7.10.04	105	150
2243	-"-	102, 104	300
2244	-"-	107	150
2245	-"-	207	100

15. अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार संस्था के यात्री भवन भरवाई में ठहरे हुए यात्रियों से उनसे देय/कम किराए की राशि की वसूली की गई जिसका औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा उनसे कम किराए की वसूल की गई राशि की नियमानुसार कार्रवाई करके उत्तरदायी से वसूली की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

आगंतुक सं.	आने की दिनांक	जाने की दिनांक	कमरा सं.	देयराशि	वसूलीगई राशि	कम वसूल की गई राशि
765	3.8.03	4.8.03	318	200	100	100
766	3.8.03	4.8.03	303	200	100	100
767	3.8.03	4.8.03	211 210	700	350	350
768	3.8.03	4.8.03	207	200	100	100

...

811	4.8.03	4.8.03	208-	125	100	25
862	5.8.03	6.8.03	204,212	400	200	200
663	5.8.03	6.8.03	311	500	250	250
864	5.8.03	6.8.03	202	200	100	100
873	5.8.03	6.8.03	208	125	100	25
952	30.8.03	31.8.03	210	250	100	150
2267	10.10.04	12.10.04	207	250	100	150
2282	19.10.04	22.10.04	209	250	125	125
2241	6.10.04	8.10.04	106	300	150	150

इसके अतिरिक्त यात्री भवन के किराए की अनुमोदित दरों की प्रतिलिपि अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई तथा मौखिक आधार पर किराए की दरें बताई गई जिनको आधार मान कर ही अंकेक्षण किया गया। अत: आगामी अंकेक्षण में किराए की दरों की अनुमोदित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जाए।

16. संस्था के यात्री भवन भरवाई के आगंतुक रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि आगंतुक संख्या 1042 के अन्तर्गत रसीद संख्या 3131/42 दिनांक 20.10.2003 के अनुसार रोहित कुमार गांव व डाकघर धावाही जिला ऊना ने दिनांक 10.3.2004 को अपनी बेटी के विवाह हेतु मु0 500/=रु. की राशि जमा करवाकर यात्री भवन की अग्रिम बुकिंग करवाई गई। अंकेक्षण में सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि शेष मु0 4500/=रु. की राशि विवाह समारोह सम्पन्न होने के बाद भी वसूल नहीं की गई जो कि अति गम्भीर अनियमितता है। इस राशि को सम्बन्धित व्यक्ति अथवा उत्तरदायी से वसूल किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17. संस्था के कर्मचारियों की छुट्टियों से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार सम्बन्धित हाजरी रजिस्टर पर कर्मचारियों को अवकाश पर दर्शाया गया परन्तु अवकाश की किस्म का विवरण नहीं दिया गया और न ही इस अवधि के अवकाश को सम्बन्धित कर्मचारी के किसी भी अवकाश के खाते में देय छुट्टियों से कम किया गया। अत: वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा इन कर्मचारियों के आगे दर्शाई गई छुट्टी को उनके खाते से कम किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

.. ..

कर्मचारी का नाम	अवधि	कुल दिन
1. रमेश चन्द, चालक	8.4.04	1
2. पवन कुमार, सेवादार तकनीकी	26.6.03	1
3. किशन चन्द, चालक	25.10.03	1
4. रविन्दर कुमार, सेवादार	28.10.03 से 30.10.03	3

18. पुजारी/बारीदारों को अंकेक्षण अवधि 1/03 से 12/04 के चयनित मासों में उनके देय हिस्सों की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दर्शाई गई राशि जो बारीदारों द्वारा मांगी नहीं गई थी, को न्यास द्वारा बैंक के चालू खाते में रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त मास 12/04 तक इसी खाते में कुल मु0 6720751.00 रु. की राशि शेष थी। बैंक नियमों के अनुसार उक्त खाते पर ब्याज का कोई प्रावधान नहीं है। अतः उक्त खाते में राशि रखने पर न्यास को ब्याज की हानि उठानी पड़ी। इस सन्दर्भ में परामर्श दिया जाता है कि उक्त खाते में पड़ी राशि को बचत खाते में अथवा कम अवधि की सावधि जमाओं में निवेश किया जाए जिससे न्यास उक्त खाते में अधिक पड़ी राशि पर ब्याज अर्जित कर सके। अन्यथा इन राशियों को जो कि unclaimed रहती है वापिस न्यास निधि में जमा करवाया जाए तथा ऐसे हिस्से तभी न्यास निधि से निकाले जाएं जब इनका भुगतान सम्बन्धित बारीदार द्वारा प्राप्त कर लिया जाना हो।

बारीदार का नाम	देय हिस्से की अनक्लेम्ड राशि मास 10/03	मास 4/04	मास 10/04
1. श्रीमति शकुन्तला देवी	40936	38764	42241
2. श्रीमति नर्मदा देवी	24561	23358	25344
3. श्री वनमाली दत्त	34113	32303	35201
4. श्रीमति कौशल्या देवी	76755	72682	79202
5. -"- चिन्ती देवी	8186	7752	8448
6. -"- विमला देवी	7675	7278	7920
7. श्री रतन चन्द	4264	4037	4400
8. श्री अजय कुमार	12792	12113	13200
9. श्रीमती ब्यासों देवी	230257	218046	237606

.. ..

19. अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि निम्न प्रकरणों में प्रत्येक के आगे दर्शाई रसीदों के द्वारा प्राप्त सामान के विरुद्ध भण्डार रजिस्टर में कम मात्रा दर्ज की गई परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रकरण के आगे दर्शाई मात्रा भण्डार में कम दर्शाई गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा यह कम दर्ज की गई मात्रा अथवा इसकी बाजार दर पर कीमत दोषी से वसूल करके जमा करवाई जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

मास	रसीद सं.	वस्तु का नाम	स्टाक रजिस्टर में दर्ज मात्रा कि.ग्रा.	रसीद में दर्ज की गई मात्रा. कि.ग्रा.	कम ली गई मात्रा
4/04	3199/00005	माह	2.000	2.500	0.500
-"-	3199/45	मिर्च	0.500	1.500	1.000
	3199/58	चीनी	5.500	5.000	0.500
	3199/60	हालडा घी	1.500	0.500	1.000
	3199/0069	धनिया	0.250	1.250	1.000
	3199/0088	चावल	-	105.00	105.00
	3202/0068	हल्दी	0.500	1.500	1.000
	3202/0082	मसाला	2.000	2.250	0.250
10/04	3292/0052	चायपती	0.500	1.500	1.000
	3292/0062	नमक	5.000	15.000	10.000
21.4.04	3214/00030	देसी घी	11.500	1.500	10.000
25.4.04	3215/00077	स्टील थाली	11 नं.	1 नं.	10 नं.
27.4.04	3216/0003	देसी घी	18.000	8.000	10.000
30.4.04	3217/0005	स्टील थाली	11 नं.	1 नं.	10 नं.
17.10.04	3291/0001	देसी घी	16.500	6.500	00.000
13.10.03	-	घी	2	-	2 कि.
19.8.03		गिलास	1	-	1
27.8.03		गिलास	1	-	1

20. निम्न राशियां दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों/मजदूरों को मेला अवधि में मानदेय के रूप में भुगतान की गई। स्वीकृति के अवलोकन पर पाया गया कि इसमें केवल नियमित कर्मचारियों को ही मानदेय दिया जाना था। दैनिक वेतन भोगियों को बिना स्वीकृति के मानदेय

..

के भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा यह राशियां उत्तरदायी से वसूल करके जमा करवाई जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

मास	वाउचर सं.	राशि	दैनिक वेतन भोगी का नाम.	वाउचर की कुल राशि.
10/03	785	390	रणजीत कुमार	
	-"-	390	पंकज कुमार	
	-"-	390	अवनी कुमार	42886
	-"-	390	रमेश कुमार	
	-"-	390	ददली राम	
4/04	14	390	पंकज	
		390	रमेश	
		390	रणजीत	44152
		390	ददली	
		390	अवनी	

21. 21.8.03 के वाउचर संख्या 558(3) के द्वारा मु0 8008/=रू. की राशि में गुप्ता आयरन एण्ड हार्डवेयर ऐजेन्सी होशियारपुर को चूने के क्रय करने पर भुगतान की गई। इसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं

(क) फर्म द्वारा मु0 (80 रू.+10 प्रतिशत एस.टी.) कुल मु0 88/=रू. की राशि मजदूरी की चार्ज की गई जबकि संविदा के अवलोकन पर पाया गया कि संविदा दर पर मजदूरी अतिरिक्त चार्ज करने की कोई शर्त नहीं थी परिणामस्वरूप मु0 88 रू. की राशि का अधिक भुगतान हुआ जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अधिक भुगतान की गई राशि दोषी से वसूल करके जमा करवाई जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ख) इस भुगतान के विरुद्ध वास्तविक प्राप्ति रसीद अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई जो कि अब प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

22. 23.8.2003 के वाउचर सं. 579 के द्वारा मु0 23400/=रू. की राशि मेलों में दौरान दो क्रेनों के किराए के रूप में व्यय की गई। इसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं :-

(क) तुलनात्मक विवरणी पर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा यह टिप्पणी की गई कि संविदा दर जो कि मु0 1300/=रू. प्रतिदिन प्रति क्रेन ~~मालिक से~~ दर्शाई गई है0 अधिक है तथा क्रेन मालिक से इस दर को

.. ..

कम करने हेतु कहा जाए क्योंकि गत वर्ष में इसकी दर मु0 1150 रु. प्रति दिन थी। लेकिन न्यास द्वारा इस दर को Negotiate नहीं किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ख) क्रेन की आवश्यकता तभी पड़ सकती है जबकि कोई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई हो तथा ऐसे प्रकरण में इसे समयानुसार भी हायर किया जा सकता था। मेलों के दौरान बिना किसी कार्य के इन्हें हायर करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा भविष्य में इस अनुचित व्यय को बन्द किया जाए ।

23. 23.8.03 के वाउचर सं. 580 के द्वारा मु0 10170/=रु. की राशि के टायरों के क्रय पर मै.एच.पी.एग्रो इन्डस्ट्री कारपोरेशन अम्ब को भुगतान की गई इसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(क) पुराने बदले गए टायरों के भण्डार इन्द्राज अंकेक्षण में नहीं दर्शाए गए इस चूक का लेखांकन करके पुराने टायरों की नीलामी की जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ख) इस भुगतान के विरुद्ध वास्तविक प्राप्ति रसीद अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जो कि अब प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

24. 26.8.03 के वाउचर संख्या 600 के द्वारा मु0 4050/=रु. की राशि निदेशक भाषा एवं संस्कृति विभाग को पुस्तकों की आपूर्ति हेतु अग्रिम दी गई। इसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(क) इस अग्रिम के विरुद्ध समायोजन लेखे अंकेक्षण में नहीं दर्शाए गए। सम्बन्धित विभाग से इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाई की जाए अन्यथा यह राशि दोषी से वसूल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए

(ख) इस भुगतान के विरुद्ध वास्तविक प्राप्ति रसीद अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई जो कि अब प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ग) इन पुस्तकों का न्यास की गतिविधियों से क्या सम्बन्ध था का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ऐसे अनुचित व्यय को बन्द किया जाए।

25. 1.8.03 के वाउचर सं. 517 के द्वारा मु0 1000/=रु. की राशि डाक टिकटों के क्रय पर व्यय की गई लेकिन इसके विरुद्ध भण्डार इन्द्राज व प्रयोग अंकेक्षण में नहीं दर्शाए गए जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

.. ..

तथा क्रय की गई टिकटों को सम्बन्धित रजिस्टर में दर्शाकर उपयोग की गई टिकटों का विवरण आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।

26. 17.8.2003 के वाउचर सं. 545 के द्वारा मु0 3400/=रू. की राशि मै0 हिमाचल इंजीनियरिंग वर्क्स मुबारिकपुर को 136 किलो सरिये को क्रय करने पर भुगतान की गई जबकि भण्डार रजिस्टर अनुसार 132 कि.ग्रा सरिया कम प्राप्त हुआ था। इस प्रकार 4 किलो सरिया कम प्राप्त हुआ जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा 4 किलो ग्राम सरिए के अधिक भुगतान की मु0 25/=रू. प्रति किलो ग्राम की दर मु0 100/=रू. की राशि सम्बन्धित से वसूल करके जमा करवाई जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

27. मास 8/03 के वाउचर संख्या 501 के द्वारा मु0 9900/=रू. की राशि मै0 न्यू सीको आटो इन्डस्ट्री चण्डीगढ़ को गाड़ी की मुरम्मत करने पर भुगतान की गई। इसमें निम्न अनियमितताएं पाई गई :-

(क) इस भुगतान की प्राप्तकर्ता की प्राप्ति रसीद अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसे अब प्राप्त करके सत्यापन हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें ।

(ख) क्रय किए सामान व बदले गए पुराने सामान को भण्डार में की गई प्रविष्टि अंकेक्षण में नहीं दर्शाई गई। इस चूक को रेखांकन करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें ।

(ग) इस क्रय में मु0 3600/=रू. मूल्य का एक स्टीरियों शामिल था। गाड़ी में स्टीरियों का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस अनुचित व्यय की उत्तरदायी से वसूली की जाए।

28. 18.8.03 के वाउचर संख्या 546 के द्वारा मु0 10820/=रू. की राशि सफाई कार्य हेतु व्यय की गई। इसमें मु0 4400/=रू. की राशि श्री रमेश चन्द ठेकेदार को 20.7.03 से 25.7.03 तक 25 नम्बर ट्रालियां कूड़ा कर्कट उठाने के लिए भुगतान की गई। न्यास की अपनी एक गाड़ी टैम्पू इसी कार्य हेतु है। अतः इस कार्य के लिए निजी ट्राली के प्रयोग का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में अपनी गाड़ी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए।

.. ..

29. 16.8.03 के वाउचर संख्या 535 के द्वारा कु0 83050/=रु. की राशि स्मृति चिन्हो के क्रय पर व्यय की गई। इसमें निम्न अनियमितताएँ पाई गईं :-

(क) ये स्मृति चिन्ह किसको भेंट किए गए का कोई विवरण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया जो कि अब तैयार करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ख) बिल पर पारित आदेश दर्ज नहीं थे। अपेक्षित कार्यवाई अब करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ग) जिनको ये स्मृतिचिन्ह भेंट किए गए उनका न्यास की गतिविधियों से क्या सम्बन्ध था तथा न्यास के लिए क्या योगदान था का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा भविष्य में ऐसे अनुचित व्यय को बन्द किया जाए।

30. मास 10/04 के वाउचर सं. 751 के द्वारा कु0 16184/=रु. की राशि मे डोगरा फिलिंग स्टेशन को डीजल आदि क्रय करने पर भुगतान किया गया इसमें निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईं :-

(क) भुगतान की वास्तविक प्राप्ति रसीद अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में इस भुगतान की पुष्टि नहीं हो सकी। अपेक्षित प्राप्ति रसीद अब प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ख) इस क्रय में निम्न गाड़ियों हेतु क्रय डीजल की प्रविष्टियाँ लाग बुक में दर्शाई नहीं गई। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अपेक्षित प्रविष्टियाँ लाग बुक में करके आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

गाड़ी सं.	डीजल की कीमत
3770	2656.50
8587	3733.00

31. निम्नलिखित सामग्री क्रय की गई थी परन्तु सम्बन्धित अभिलेखों/भण्डार में उनकी प्रविष्टियाँ व इनका प्रयोग अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। इस चूक को लेखांकन करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

मास	वाउचर सं.	राशि	विवरण
10/03	774(2)	130	रूम हीटर (वाउचर की कुल राशि 250 रु.)
10/03	769	4428	पैट्रोल गाड़ी क्रमांक एचपी-19-0009.

....

10/03	800	2062	पैट्रोल गाड़ी एचपी-004
10/03	834	4000	कम्प्यूटर मुरम्मत
8/03	537	22570	दरवाजे ग्रिल सी.जी.आई.शीट
4/04	24(1)	4228	डीजल एचपी-19-009
4/04	24(2)	4626	डीजल एचपी-19-8587
4/04	74	1054	पैट्रोल
8/03	517	1000	पोस्टेज स्टैम्पस
5/04	199	5000	सी.सी.टी.वी. कैमरा
10/04	761	4500	पूजा
10/04	768	535	फोटोग्राफ
10/04	745(5)	80	केलवा
10/04	755	1332	चूना
10/04	795(14)	80	बल्ब
10/04	795(15)	145	टार्च
10/04	795(16)	88	बल्ब
10/04	795(17)	299	हार्पिक
10/04	759	270	बाल्टी(कुल 7040) कुल वाउचर राशि)
10/04	785(3)	150	गाड़ी नं. 8587 की मुरम्मत
10/04	785(4)	200	यथोपरि
10/04	760	3298	फोटोस्टेट

32. मन्दिर न्यास द्वारा निम्न राशियाँ अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रतिमाह की दर से मानदेय के रूप में भुगतान की जा रही है। जो कि अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। इन भुगतानों का औचित्य नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त पूरक नियम 12 के अन्तर्गत इस राशि का 1/3 भाग सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया जिसका औचित्य स्पष्ट ~~किया~~ करते हुए ~~और~~ अपेक्षित कार्यवाही अब करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

नाम	राशि	विभाग का नाम
एस.के.चौहान	1000 रु. प्रति माह	नगर परिषद ऊना
डी.ए.ऊना	500 -"-	आयुक्त कार्यालय
अशोक कुमार	500 -"-	-"-
कमल नारायण	400 -"-	-"-

मन्दीप	400 रू. प्रति माह	उप मण्डल अधिकारी
ए.डी.ए. अम्ब	300 -"-	-"-
टेक चन्द माली	450 -"-	-"-

33. अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि मन्दिर अधिकारी को जो कि मन्दिर में राजस्व विभाग से प्रतिनियुक्ति पर है को मु0 2000/=रू. प्रति मास की दर से मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारी को नियमानुसार मानदेय देने का कोई प्रावधान नहीं है। मानदेय को भुगतान का औचित्य नियमों के अधीन उचित ठहराया जाए। अथवा उपरोक्त दर से भुगतान की गई राशि की विभागीय गणना करके दोषी से इसकी वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए। इसके अतिरिक्त मानदेय का 1:3 भाग पूरक नियम 12 के अनुसार सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया जो कि अब सरकारी कोष में जमा करवाया जाए।

34. अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि मन्दिर चढ़ावे की राशि में से प्रत्येक वर्ष बारीदारों/हिस्सेदारों को हिस्से के रूप में लाखों रूपये की राशि का भुगतान किया जा रहा है परन्तु इनसे स्त्रोत पर आयकर की कटौती नहीं की जा रही है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। तथा आयकर नियमों के अन्तर्गत इनका आयकर निर्धारित करवाकर हिस्से से आयकर की कटौती करके सरकारी कोष में जमा करवाई जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

35. मास 10/03 के वाउचर संख्या 774(4) के द्वारा मु0 3188/=रू. की राशि मै0 बंसल स्टील वर्क्स को Dolomite Powder के क्रय पर भुगतान की गई। बिल में फर्म द्वारा मु0 80+10 प्रतिशत सेल टैक्स कुल मु0 88/=रू. की राशि Loading के रूप में अतिरिक्त चार्ज की गई जबकि संविदा के अवलोकन पर पाया गया कि इसमें संविदा दर पर अन्य ऐसा चार्ज करने की कोई शर्त नहीं थी परिणामस्वरूप मु0 88/=रू. की राशि का अधिक भुगतान हुआ जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई उपरोक्त राशि दोषी से वसूल करके जमा करवाई जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

.. ..

36. मास 4/04 के वाउचर सं. 39 के द्वारा मु0 41600/=रु. की राशि मै0 यूनीवर्सल सिस्टम ग्रुप को कम्प्यूटर के क्रय पर भुगतान की गई। इसमें निम्न लिखित अनियमितताएं पाई गईं :-

(क) यह क्रय बिना संविदा के किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ख) इसके भण्डार इन्द्राज अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाए गए। इस चूक का लेखांकन करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

37. मास 8/03 के वाउचर सं. 487 के द्वारा 10075/=रु. की राशि दैनिक वेतन भोगियों को मजदूरी के रूप में भुगतान की गई। यह भुगतान मु0 65/= प्रतिदिन की दर से किया गया जबकि सरकार द्वारा अनुमोदित दर मु0 60 रु. प्रतिदिन थी परिणामस्वरूप सरकारी दर से मु0 5/=रु. प्रतिदिन की दर से अधिक भुगतान किया गया जिसका औचित्य नियमों के अधीन स्पष्ट किया जाए अन्यथा 155 कार्य दिवसों के लिए मु0 5/=रु. प्रतिदिन की दर से मु0 775/=रु. के अधिक भुगतान की दोषी से वसूली करके जमा करवाई जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए। इसके अतिरिक्त, अन्य ऐसे प्रकरणों की विभागीय स्तर पर जांच करके अधिक दर से भुगतान के प्रकरणों पर भी उचित कार्यवाही की जाए।

38. 15.8.03 के वाउचर सं. 548 के द्वारा मु0 7452/=रु. की राशि मजदूरी के रूप में भुगतान की गई लेकिन मस्टररोल पर मजदूरों द्वारा किए गए कार्य की प्रगति नहीं भरी गई थी जिसके बिना इन द्वारा किए गए कार्य की औचित्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। अपेक्षित कार्यवाई अब करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

39. निम्नलिखित मदों पर किए गए व्यय न्यास की विकास गतिविधियों के अन्तर्गत उचित/वैध नहीं है। इस व्यय का औचित्य न्यास के विकास कार्यों के दृष्टिगत/अन्तर्गत स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस अनुचित व्यय हेतु दोषी के विरुद्ध उचित कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

क्रमांक	मास	वाउचर सं.	राशि	विवरण
1.	23.3.03	1213	9100	मोबाईल फोन नोकिया
2.	31.3.03	1240	9000	कार आडियो हेड यूनिट
3.	7.4.03	21	11990	उपायुक्त आवास हेतु रंगीन टी.वी.

4.	29.4.03	112	945	94180-25002 मोबाईल फोन का बिल.
5.	3.5.03	135	24200	ऐयर कन्डीशन
6.	10.5.03	167	5025	29" टैलीविजन की मुरम्मत
7.	19.6.03	317	23200	नौकिया हैन्डसैट मोबाईल 3315
8.	21.7.03	438	24400	प्रशासनिक भवन मन्दिर न्यास में अल्मारी व टीवी ट्राली आवास हेतु।
9.	21.7.03	439	23600	-यथोपरि-
10.	27.9.03	710	3960	ट्रापी
11.	27.9.03	715	22900	नोकिया मोबाईल फोन
12.	16.9.04	684	92900	मोमेंटो स्टाफ व अधिकारियों हेतु।
13.	23.10.04	789	468.00	गाड़ी नं. एचपी-20-004 में फिक्स किजीटल घड़ी (वारंटर की कुल राशि 1420).
14	20.11.03	919	10000	एसडीएम अम्ब कार्यालय का टैलीफोन बिल.
15.	5.1.04	1072	24350	एयर कंडीशनर
16.	10.2.04	35	54245	Processor Pentium 4.26 GHR with H.T Computer Technology
17.	26.3.04	1380	15990	एसडीएम अम्ब के आवास हेतु एयर कंडीशनर.
18.	4.5.04	120	4075	मन्दिर अधिकारी आवास के फ्रिज की मुरम्मत.
19.	30.5.04	215	3300	एसडीएम कार्यालय हेतु कम्प्यूटर
20.	12.7.04	382	16704	डाईनिंग टैबल व चेयर.
21.	28.12.04	1010	31862	स्टाफ हेतु प्रैशर कुकर (73 अदद क्रय किए, सूची अनुसार 66 वितरित किए शेष 7 कहाँ है का विवरण दर्शाया जाए)
22.	15.6.04	292	10000	इन्स्टीच्यूट आफ सिस्टर आफ चैरिटी जमा को चिन्तपूर्णी में पाए अनक्लेम्ड (unclaimed) बच्चे के व्यय का भुगतान।
23.	13.12.04	922	5000	-यथोपरि

...

24.	14.10.03	765	42866	मेला अवधि में स्टाफ का होनरेरियम.
25.	3.4.04	14	44122	यथोपरि
26.	23.10.03	814	35520	श्मशानघाट के रास्ते की मुरम्मत व नाली के निर्माण कार्य पर व्यय.
27.	23.10.03	816	72664	श्मशानघाट के रास्ते की मुरम्मत व नाली के निर्माण कार्य पर व्यय.
28.	14.11.03	902	124384.00	16 चैनल कलर सी.सी.टी.वी. मल्टी प्लायर.
29.	14.11.03	903	9890.00	केबल
30.	14.11.03	906	9680.00	इन्सटालेशन चार्जिज
31.	13.10.04	782	2538.00	विमला देवी पत्नी श्री हरिराम को चिकित्सा सहायता।

40. 18.2.03 के वाउचर संख्या 1105(ए) के द्वारा मु0 3378000 रू. की राशि श्री राजेश कुमार सपुत्र श्री प्रकाश चन्द को जमीन के 24.95 हैक्टेयर क्रय पर भुगतान की गई। इसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(क) इस जमीन की राजस्व विभाग अनुसार मार्केट दर क्या थी का विवरण अंकेक्षण में नहीं दर्शाया गया जिसके अभाव में क्रय की गई दर का राजस्व विभाग की दर से मिलान नहीं किया जा सका। क्रय तिथि को राजस्व विभाग की क्या औसत दर थी का विवरण प्राप्त किया जाए तथा अगर औसत दर से अधिक दर पर क्रय किया गया हो तो इसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक दर पर किए गए क्रय की विभागीय गणना करके अधिक भुगतान की गई राशि की दोषी से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ख) इस जमीन का आज तक कोई प्रयोग नहीं किया गया। अभी तक यह खाली पड़ी है। अंकेक्षण को मौखिक तौर पर स्पष्ट किया गया कि इस जमीन को पहले पार्क बनाने के लिए लिया गया तथा बाद में इसे न्यास कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु उपयोग करने का फैसला लिया गया लेकिन इस पर आज तक न तो पार्क बना तथा न ही कोई आवास तैयार किया गया। जब इसकी आवश्यकता ही नहीं थी तो इसके क्रय का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

.. ..

(ग) इसके कुन्तकाल से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाए गए जो कि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

41. अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि निम्नलिखित राशियां बिजली के बिलों के रूप में भुगतान की गईं। अंकेक्षण को मौखिक तौर पर स्पष्ट किया गया कि यह बिजली की आपूर्ति निम्न स्थानों पर स्ट्रीट लाईट के लिए की गई थी। न्यास के कार्यक्षेत्र में इन स्थानों में बिजली की आपूर्ति करने का क्या औचित्य था स्पष्ट किया जाए क्योंकि चिन्तपूर्णी नगर पंचायत क्षेत्र होने के कारण स्ट्रीट लाईट का रख रखाव नगर पंचायत द्वारा भी किया जाता है। अतः यह सत्यापित किया जाए कि क्या नगर पंचायत उक्त क्षेत्र के स्ट्रीट लाईट का रख रखाव कर रही है या नहीं ? इस बारे नगर पंचायत से सत्यापन करवाया जाए।

मीटर सं.	स्ट्रीट लाईट क्षेत्र.	मास 8/03 का व्यय. व वाउचर सं.	मास 10/03 का व्यय. व वाउचर सं.	मास 4/04 का व्यय. व वाउचर सं.	मास 10/04 का व्यय. व वाउचर सं.
सीपी 1648	वार्ड नं. 34	2380/ 5843	2680/ 822	2643/86	3443/762
सीपी 1580	वार्ड नं. 2	827/ 584 बी	1338/ 822	1921/86	1594/762
सीपी-25	हरिजन बस्ती	533/ 584 बी.	739/822	461/86	481/762
आरएस-28	राय रास्ता वार्ड नं. 1	920 584 बी	1009 822	840/86	1921/762
सीपी 1615	सीता भवन	797/ 584 बी	747/822	1134/85	1457/762
सीपी 1659	मिरग	709/584बी	1087/822	2248/86	1040/762

42. मास 4/04 के वाउचर सं. 25 के द्वारा रु0 7000/=रु. की राशि श्री कुलदीप सिंह ड्राईवर को अम्ब से शिमला व शिमला से वापसी व अम्ब से होशियारपुर तथा वापसी क्रमशः वायरलैस सैट लाने व भिखारियों को छोड़ने हेतु गाड़ी के किराए के रूप में भुगतान की गईं। न्यास के पास

6 गाड़ियां है तथा इनमें से किसी भी गाड़ी को उपरोक्त कार्य हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। निजी गाड़ी को किराए के रुप में उपरोक्त उद्देश्य हेतु हायर करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा यह राशि दोषी से वसूल करके जमा करवाई जाए।

43. अंकेक्षण में पाया गया कि कृष्णा देवी व प्रकाशचन्द पति-पत्नि हैं तथा न्यास के नियमित कर्मचारी है तथा दोनों को मकान किराया भत्ता दिया गया है जबकि सरकारी निर्देशों के अनुसार एक ही तैनाती स्थान पर दोनों में से एक को ही आवास किराया भत्ता देय था। दोनों को उपरोक्त भत्ते के भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा एक को दिए गए आवास किराए भत्ते की विभागीय गणना करके उत्तरदायी से इसकी वसूली की जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

44. मास 4/04 के वाउचर संख्या 25 के द्वारा मु0 8548/-रू. की राशि मै0 बिट्टू टेन्ट हाऊस चिन्तपूरनी को टेन्ट आदि के किराए पर भुगतान की गई। यह व्यय बिना संविदा आमन्त्रित किए गए किया गया। इस प्रकार बाजार की प्रतिस्पर्धा दर का लाभ नहीं उठाया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

45. मास 4/04 के वाउचर सं. 28 के द्वारा मु0 15847/-रू. की राशि मै0 पीताम्बर मैडिकल एजेंसी कांगड़ा को दवाईयों के क्रय पर भुगतान की गई। इसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं।

(क) यह क्रय बिना संविदा आमन्त्रित किए किया गया। अतः बाजार प्रतिस्पर्धा दर का लाभ नहीं उठाया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ख) इस भुगतान के विरुद्ध वास्तविक प्राप्ति रसीद अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई जो कि अब प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ग) यह दवाईयां पंचकर्मा शिविर हेतु जारी की गई लेकिन सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी से इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया जो कि अब प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

.....

46. निम्नलिखित प्रकरणों में दैनिक वेतन भोगी कम्पयूटर आप्रेटर श्री अजय कुमार को लगातार कार्य दिवस कार्य करने से पूर्व वेतनिक अवकाश दे दिया गया जबकि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को यह अवकाश लगातार छः कार्य दिवस कार्य करने के उपरान्त दिया जाना अपेक्षित था। परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रकरण के आगे दर्शाई राशि वेतनिक अवकाश के रूप में अनियमित भुगतान की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अधिक भुगतान की गई राशि दोषी से वसूल करके निधि में जमा करवाई जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

तिथि	वाउचर सं.	राशि	जिस तिथि को छः कार्य दिवस से पहले अवकाश दिया।	अधिक भुगतान
19.8.03	519	2052	8.5.03	76
19.8.03	520	2356	17.7.03 व 27.7.03	152
			कुल	228

47. माह 10/03 के वाउचर सं. 772 के द्वारा मु0 2500 रू. की राशि श्री एम.आर.शर्मा मन्दिर अधिकारी को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के रूप में भुगतान की गई। यह चिकित्सा प्रतिपूर्ति उन द्वारा होशियारपुर से एक निजी संस्थान से एमआरआई टैस्ट करवाने की थी। नियमों के अधीन निजी संस्थान से टैस्ट करवाने का कोई प्रावधान नहीं था। अगर यह सुविधा सरकारी हस्पताल में उपलब्ध नहीं थी तो इस सम्बन्ध में निजी संस्थान से टैस्ट करवाने हेतु चिकित्सा अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अपेक्षित था। इसके उपरान्त ही निजी संस्थान से टैस्ट करवाया जा सकता था तथा निजी संस्थान द्वारा वसूल किए गए शुल्क सरकारी दर अनुसार ही भुगतान किए जाने थे। सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए तथा सरकारी दर की प्रति सम्बन्धित विभाग से प्राप्त की जाए तथा अगर सरकारी दर से अधिक भुगतान किया गया हो तो इसकी वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

...

48. 15.10.03 के वाउचर संख्या 791 के द्वारा रु0 30000/=रू. की राशि मै. चड्डा मैडिकल जनरल ऐजेंसी ऊना को दवाईयों के क्रय पर भुगतान की की गई। इसमें निम्न अनियमितताएं पाई गईं :-

(क) इस भुगतान के विरुद्ध वास्तविक प्राप्ति रसीद अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई जो कि अब प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ख) इसमें फर्म द्वारा रु0 3052/=रू. की राशि बिक्री कर की अतिरिक्त चार्ज की गई जबकि संविदा में संविदा दर पर बिक्री कर की राशि अतिरिक्त वसूल करने की कोई शर्त नहीं थी परिणामस्वरूप रु0 3052/=रू. की राशि बिक्री कर के रूप में अधिक भुगतान की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की उपरोक्त राशि दोषी से वसूल करके जमा करवाई जाए अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ग) ये दवाईयां सरकारी अस्पताल चिन्तपुर्णी को जारी की गई लेकिन इसके विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि सम्बन्धित हस्पताल प्राधिकारियों से प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

49. निम्न राशियां आयकर के फलस्वरूप जमा करवाई गई लेकिन अंकेक्षण में प्रस्तुत प्राप्ति रसीद चालान पर बैंक प्राप्ति की मोहर नहीं थी जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सम्बन्धित बैंक से इसकी प्राप्ति प्रमाणित करवाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

तिथि	वाउचर सं.	राशि
21.8.03	567	716
21.8.03	568	1790

50. मास 4/04 के वाउचर संख्या 35 के द्वारा रु0 20000/=रू. की राशि मै0 चड्डा मैडिकल एण्ड जनरल एजेंसी चिन्तपुर्णी को दवाईयों के क्रय पर भुगतान की गई। इसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं :-

(क) अंकेक्षण में की गई गणना के अनुसार देय राशि रु0 19971/=रू. बनती थी जबकि भुगतान 20000/=रू. का किया गया परिणामस्वरूप रु0 29/=रू. राशि का अधिक भुगतान हुआ। इस अधिक भुगतान की वसूली करके निधि में जमा करवाई जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ख) फर्म द्वारा निम्न विवरणानुसार मु0 1847 रु. की राशि बिक्री कर के रूप में चार्ज की गई जबकि संविदा में संविदा दर पर बिक्री कर अतिरिक्त वसूल करने की कोई शर्त नहीं थी परिणामस्वरूप उपरोक्त राशि का अधिक भुगतान हुआ जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई उपरोक्त राशि प्राप्तकर्ता से वसूल करके निधि में जमा करवाई जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(बिक्री कर 421+925+501=1847).

(ग) ये दवाईयाँ सरकारी हस्पताल चिन्तपूर्णी को जारी की गई लेकिन इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया जोकि अब प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

51. मास 4/04 के वाउचर संख्या 39 के द्वारा मु0 41600/-रु. की राशि मै0 यूनीवर्सल सिस्टम ऊना को कम्प्यूटर के क्रय पर भुगतान की गई। इसमें निम्न लिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(क) यह क्रय बिना संविदा आमन्त्रित किया गया। अत: बाजार की प्रतिस्पर्धा दर का लाभ नहीं उठाया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ख) इस क्रय के विरुद्ध भण्डार इन्द्राज अंकेक्षण में नहीं दर्शाए गए। इस चूक का लेखांकन किया जाए। इसके अतिरिक्त उपरोक्त कम्प्यूटर कहां स्थापित किया गया तथा इसका न्यास की गतिविधियों से क्या सम्बन्ध था का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। न्यास कार्यालय में पहले ही एक कम्प्यूटर स्थापित है।

(ग) इस भुगतान के विरुद्ध वास्तविक प्राप्ति रसीद अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जो कि अब प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

52. मास 4/04 के वाउचर संख्या 86 के द्वारा मु0 60257/=रु. की राशि बिजली के बिलों के रूप में हि0प्र0 विद्युत परिषद को भुगतान की गई। उपरोक्त मीटर संख्या जेबी-1/एसएल के मु0 3286/=रु. शामिल थे। बिल के अवलोकन पर पाया गया कि इसमें एक मीटर की पुरानी खपत की रिडिंग 29905 युनिट थी तथा नई रिडिंग 29410 युनिट थी परिणामस्वरूप नई रिडिंग अनुसार खपत (-) 495 युनिट थी जबकि बिल में (+) 495 युनिट खपत के अनुसार भुगतान किया गया जिसकी पड़ताल विभागीय स्तर पर करके वास्तविक स्थिति से आगामी अंकेक्षण के समय अवगत करवाया जाए।

...

53. मास 4/04 के वाउचर संख्या 70 के द्वारा मु0 5900/=रु. की राशि ग्रीटिंग कार्ड के क्रय पर मै0 परमदयाल बुक स्टोर चम्बा को भुगतान की गई। इसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं :-

(क) इस भुगतान के विरुद्ध वास्तविक प्राप्ति रसीद अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई जो कि अब प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ख) यह क्रय बिना संविदा आमन्त्रित किए किया गया। अत: बाजार की प्रतिस्पर्धा दर का लाभ नहीं उठाया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ग) इस क्रय के विरुद्ध भण्डार इन्द्राज व वितरण अंकेक्षण में नहीं दर्शाए गए। इस चूक का लेखांकन करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(घ) इस क्रय का न्यास की गतिविधियों से क्या सम्बन्ध था का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया जिसका विवरण आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

54. मास 4/04 के वाउचर संख्या 98 के द्वारा मु0 7995/=रु. की राशि श्री तिलक राज सेवादार को बकाया छुट्टियां नकदीकरण के रूप में भुगतान की गई। न्यास कर्मचारी सेवा नियमों के अधीन न्यास कर्मचारी जमा अर्जित अवकाश का प्रत्येक वर्ष 50 प्रतिशत भाग भुगतान करवा सकता है। उपरोक्त कर्मचारी के खाते में 97 दिन का अर्जित अवकाश जमा था। इस प्रकार नियमों के अधीन 48 दिनों का अर्जित अवकाश ही भुगतान किया जा सकता था जबकि 53 दिन के अवकाश का भुगतान किया गया परिणामस्वरूप 5 दिन के अर्जित अवकाश के लिए छुट्टियों का अधिक भुगतान हुआ जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अधिक भुगतान की गई मु0 754/=रु. की राशि दोषी से वसूल करके जमा करवाई जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

55. 3.10.04 के वाउचर सं. 744 के द्वारा मु0 3510/=रु. की राशि मै0 एच.पी. एग्रो इण्डस्ट्री कारपोरेशन लि. को गाड़ी एचपी-19बी-009 में टायर क्रय हेतु भुगतान की गई। इसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :

(क) इस भुगतान के विरुद्ध वास्तविक प्राप्ति रसीद अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई जोकि अब प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

....

(ख) बदले गए पुराने टायरों के भण्डार इन्द्राज अंकेक्षण में नहीं दर्शाए गए। इस चूक का लेखांकन करके पुराने टायरों की निलामी करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

56. 4.10.04 के वाउचर सं. 747 के द्वारा मु0 52450 रु. की राशि कर्मचारियों के वर्दी के कपड़े के क्रय पर व्यय की गई। इसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं :-

(क) इनके वितरण से सम्बन्धित विवरण जैसे कि किस कर्मचारी को कितना कपड़ा दिया गया तथा प्राप्तकर्ता की पावती अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई जो कि अब तैयार व प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ख) उपरोक्त क्रय में 165.20 मीटर गर्म कपड़ा मै0 ठुकराल एजेन्सी का शामिल था लेकिन इसके भण्डार इन्द्राज अंकेक्षण में नहीं दर्शाए गए। इस चूक का लेखांकन करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ग) उपरोक्त भुगतान में मु0 34692/=रु. की राशि मै0 ठुकराल एजेंसी भी शामिल थी लेकिन इसकी वास्तविक प्राप्ति रसीद अंकेक्षण में नहीं दर्शाई गई जो कि अब प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(घ) यह क्रय बिना संविदा आमन्त्रित किए किया गया जिस कारण प्रतीत होता है कि बाजार की प्रतिस्पर्धा दर का लाभ नहीं उठाया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त इसे हि0प्र0 खादी बोर्ड से क्रय न करने का औचित्य भी स्पष्ट किया जाए।

57. 18.12.03 के वाउचर संख्या शून्य के द्वारा मु0 100000/=रु. की राशि मन्दिर अधिकारी को मैसूर से टोकरी लाने हेतु अग्रिम भुगतान की गई लेकिन अग्रिम राशि के समायोजन लेखे अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाए गए जिन्हें अब सम्बन्धित अधिकारी से प्राप्त किए जाएं अन्यथा यह राशि वसूल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

58. 16.1.04 के वाउचर सं. 1101 के द्वारा मु0 5000/=रु. की राशि कनिष्ठ अभियन्ता को अग्रिम भुगतान की गई। यह राशि 13.3.04 को बिना उपयोग किए वापिस कर दी गई। जब इस राशि की आवश्यकता ही नहीं थी तो इसकी निकासी का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसके अस्थाई दुरुपयोग के लिए दोषी से नियमानुसार दण्ड ब्याज वसूल किया जाए अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

...

59. 21.2.04 के वाउचर संख्या 1229 के द्वारा रु0 88900/=रु. की राशि सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग को भुगतान की गई। इसमें निम्न अनियमितताएं पाई गईं :-

(क) इसके विरूद्ध बिल/वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में इस व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। अपेक्षित अभिलेख अब आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाएं।

(ख) इस भुगतान की वास्तविक प्राप्ति रसीद अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई जो कि अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें।

(ग) इस व्यय के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे अब सम्बन्धित विभाग से प्राप्त करें। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

60. श्री जीवन कुमार को सेवा अधिशाषी के पद से वरिष्ठ सेवा अधिशाषी के पद पर 4020-6200 के वेतनमान में 7.6.99 से पदोन्नत किया गया। पदोन्नति पर इनका वेतन नियमों के अधीन अपेक्षित वेतन निर्धारण से अधिक पर निर्धारित किया गया जिसका औचित्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए अन्यथा देय वेतन से अधिक दिए गए वेतन की विभागीय गणना करके उत्तरदायी से इसकी वसूली की जाए।

तिथि	देय वेतन	किया गया/निश्चित किया गया वेतन
7.6.99	4020	4400
1.6.2000	4140	4550
1.6.01	4260	4700
1.6.02	4400	4850
1.6.03	4550	5000
1.6.04	4700	5160

61. निम्नलिखित भुगतानों के विरूद्ध वास्तविक प्राप्ति रसीदें अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई जो कि अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

मास	वाउचर सं.	राशि	जिसको भुगतान हुआ
8/03	546	10820	रु0 6420 रु. की राशि के मस्टरोल के क्रमांक 1920 पर रु0 120/=रु. प्रति कर्मचारी व 21 से 31 पर रु0 60/=रु. प्रति दैनिक वेतन भोगी के भुगतान की वास्तविक प्राप्ति रसीद नहीं दर्शाई।

..

10/03	791	30000	मै0 चड्ढा मेडिकल एजेंसी नगर
10/03	769	14069	मै0 सोमरा फिलिंग स्टेशन
10/03	792	5000	मै0 चिन्तपूर्णी समाचार
4/04	22	3436	मै0 शर्मा ट्रेडिंग एजेंसी
4/04	32	20000	मै0 चड्ढा मेडिकल एण्ड जनरल एजेंसी
10/04	741	10000	मै0 हिन्द समाचार लिमिटेड
10/04	742	9800	मै0 जागरण प्रकाशन लिमिटेड
10/04	762	10000	अध्यक्ष शिमला समर फैस्टीवल कमेटी
10/04	764	50000	उपायुक्त एवं अध्यक्ष नगर महोत्सव
10/04	765	5000	चिन्तपूर्णी समाचार
10/04	752	1000	मै0 हिमाचल गिफ्ट हाउस
10/04	753	2890	मै0 अवानी टी स्टाल
4/04	83	300	मनदीप कुमार
		300	ए.पी.ए. अम्ब
10/04	768(2)	6928	होमगार्डों को बस किराए का भुगतान
8/03	570	2720	मै0 शर्मा ट्रेडिंग एजेंसी
10/04	760	3298	मै0 सुरेश पब्लिकेशन चिन्तपूर्णी
10/03	836	600	मनदीप कुमार
10/03	836	600	ए.पी.ए. नगर

62. 1.9.04 के वाउचर संख्या 619 के द्वारा मु0 2500000/=रू. की राशि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग नगर को न्यास में नई जल आपूर्ति योजना डिपोजिट वर्क हेतु भुगतान की गई। इसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(क) इसके विरूद्ध प्राक्कलन अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में इस भुगतान की औचित्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। अपेक्षित प्राक्कलन आगामी अंकेक्षण में दर्शाया जाए।

(ख) इस भुगतान के विरूद्ध वास्तविक प्राप्ति रसीद अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जो कि अब प्राप्त करें तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ग) यह निर्माण किस स्तर तक पूर्ण हुआ का कोई विवरण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया।

(घ) इस व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया जो कि अब प्राप्त करें तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

63. अंकेक्षण अवधि में निम्न विवरणानुसार मु0 52779223/=रू. की राशि पुजारियों/बारीदारों को उनके हिस्से के रूप में भुगतान की गई। जिलाधीश एवं सचिव (भाषा) की अध्यक्षता में दिनांक 10.8.87 की बैठक में पुजारियों

.. ..

बारीदारों का आय में से प्राथमिक खर्चे जैसे पूजा अर्चना, मन्दिर को चलाए रखने के लिए आवश्यक व्यय परिसर में सुधार एवं लंगर पर व्यय आदि निकालकर केवल नगद चढ़ त का 50 प्रतिशत भाग मन्दिर पुजारियों/बारीदार को दिया जाना था परन्तु मन्दिर प्रशासन द्वारा पुजारियों/बारीदारों को हिस्से की राशि दान पात्रों की आय से प्रारम्भिक खर्चों की कटौती न करके ही की जा रही है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी यह आपत्ति लगाई गई है लेकिन इसके बावजूद स्थिति यथावत जारी है। यह प्रकरण उच्च प्राधिकारियों के ध्यान में विशेष रूप से लाया जाता है।

तिथि	वाउचर सं.	राशि
25. 1. 03	1009	5592458
7. 4. 03	31	5610845
7. 7. 03	386	7257402
22. 1. 04	1118	4867789
16. 7. 04	395	7493202
11. 10. 04	774	7603421
10/03	782	7368545
4/04	48	6977561
		52779223

64. अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि निम्नलिखित राशियां विभिन्न पत्रिकाओं, समाचारपत्रों में विज्ञापन के मुद्रण पर व्यय की गईं। इन विज्ञापनों का न्यास की गतिविधियों से क्या सम्बन्ध था तथा इनका आम लोगों पर क्या प्रभाव अपेक्षित था तथा इनका औचित्य अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उन्हीं समाचार पत्रों व पत्रिकाओं को विज्ञापन दिया जाए जो प्रदेश स्तर राष्ट्रीय स्तर की हों।

मास	वाउचर सं.	राशि	जिसको भुगतान किया
7. 10. 04	741	10000	हिन्द समाचार लिमिटेड
3. 10. 04	742	9800	जागरण प्रकाशन
8. 10. 04	762	10000	अध्यक्ष शिमला समर फैस्टीवल कमेटी
8. 10. 04	764	50000	अध्यक्ष लवी मेला कमेटी
8. 10. 04	765	5000	चिन्तपूर्णी समाचार
3. 12. 03	977	10000	मिंजर मेला कमेटी

.. ..

3.12.03	976	10000	अध्यक्ष एच.पी. ग्रामीण अधिकारी
1.3.03	1143	15000	हिमोत्कर्ष पत्रिका
21.3.03	1204	10000	हैडलाईन पब्लिकेशन
5.7.03	383	15000	अमर उजाला
1.11.03	847	5000	हिमाचल रिपोर्टर
24.11.03	932	10000	सचिव, सूलनी पेपर सोलन
25.11.03	937	3500	जीवन प्रतिभा न्यूज पेपर
25.11.03	938	5000	दिव्या हिमाचल प्रकाशन
17.12.03	1007	10000	जनजातीय मेला आयोजन समीति
11.2.04	1169	10000	हिमाचल सोशल बाडीज फैडरेशन
13.3.04	1275	10000	हिमोत्कर्ष प्रकाशन रोटरी ऊना
3.3.04	1276	10000	हिन्द समाचार जालन्धर
21.1.04	1104	10000	हमीर उत्सव हमीरपुर
21.1.04	1110	8000	एच.पी. स्टेट जर्नलिस्ट फैडरेशन बिलासपु
27.1.04	1134	6000	क्षत्रिया प्रहरी राजा का तालाब
10.3.04	1290	10000	हिमाचल ज्ञान विज्ञान समीति
11.3.04	1303	4500	हिमशिखा बिलासपुर
11.3.04	1304	5000	प्रताप पब्लिकेशन
23.3.04	1359	7000	दैनिक जागरण
3.5.04	116	10000	नलवाड़ी मेला
8.5.04	146	5000	चिन्तपूर्णी समाचार
24.5.04	183	4950	अमर उजाला
1.6.04	224	10000	हिमाचल ज्ञान विज्ञान समीति
8.6.04	283	15000	होली फैस्टीवल
15.6.04	284	10000	शिवरात्री पेपर कोटी
15.6.04	285	4184	दैनिक जागरण
17.6.04	297	5000	हैडलाईन पब्लिकेशन मैहतपुर
2.8.04	451	12000	मीनाक्षी इन्टरप्राईजिज
12.8.04	523	10000	अध्यक्ष हि0प्र0 हैल्थ सैक्रेटरी
12.8.04	524	7000	अध्यक्ष शिमला टाईम्स

.. ..

12.8.04	525	10000	हिन्द समाचार लिमिटेड
12.8.04	530	3000	इन्नर मील डिस्ट्रीब्यूटर
13.9.04	669	4590	दिव्या हिमाचल प्रकाशन
23.9.04	698	7000	डी आगर उजाला
24.9.04	712	10000	दिव्या हिमाचल
1.11.04	817	7500	दैनिक भास्कर
6.12.04	933	4000	साप्ताहिक पत्रिका मेहतपुर
18.12.04	972	20000	हमीरउत्सव हमीरपुर
8/03	555	50000	ऊना उत्सव ऊना.

65. 8.10.04 के वाउचर संख्या 753 के द्वारा मु0 15440/=रू. की राशि पत्तों के क्रय पर मै0 सुरेश कुमार भरवाईं को भुगतान की गई। यह क्रय बिना संविदा आमन्त्रित किया गया। जिससे बाजार की प्रतिस्पर्धा दर का लाभ नहीं उठाया गया प्रतीत होता है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

66. 13.10.04 के वाउचर संख्या 739 के द्वारा मु0 3022/=रू. की राशि शिव शक्ति आटोमोबाईल मुबारिकपुर को गाड़ी नं. 3770 की मुरम्मत पर भुगतान की गई। इसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई ।

(क) मुरम्मत में बदले गए सामान के भण्डार इन्द्राज अंकेक्षण में नहीं दर्शाए गए इस चूक का लेखांकन करके पुराने सामान की निलामी करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ख) इसके विरूद्ध वास्तविक प्राप्ति रसीद अंकेक्षण में नहीं दर्शाई गई जोकि अब प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

67. 21.10.04 के वाउचर संख्या 773 के द्वारा मु0 21364/=रू. की राशि गाड़ी नं. 0004 की मुरम्मत पर मै0 विकास आटो सैन्टर को भुगतान की गई। इसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(क) यह मुरम्मत कार्य बिना संविदा आमन्त्रित किया गया। अतः बाजार की प्रतिस्पर्धा दर का लाभ नहीं उठाया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ख) पुराने बदले गए सामान को भण्डार इन्द्राज नहीं दर्शाए गए। इस चूक का लेखांकन करके पुराने बदले सामान की निलामी करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए। इसके अतिरिक्त इतनी अधिक मात्रा में मुरम्मत का उद्देश्य स्पष्ट किया जाए।

...

(ग) इस भुगतान के विरुद्ध वास्तविक प्राप्ति रसीद अंकेक्षण में नहीं दर्शाई ग
उपरोक्त भुगतान के विरुद्ध वास्तविक प्राप्ति रसीद प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

68. 20.10.04 के वाउचर सं. 776 के द्वारा कुल 4745 रु. की राशि मोबाईल फोन सं. 94180-26002 के बिल के रूप में भारत संचार निगम को भुगतान की गई इसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(क) इस भुगतान के विरुद्ध मूल बिल अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया व कि तलाश करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ख) इस बिल में कुल 100 रु. की राशि देय 22/9/ तिथि के बाद भुगतान करने के कारण जुर्माने के रूप में भुगतान की गई। इस राशि को विलम्ब से जमा करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा विलम्ब जुर्माने के रूप में भुगतान की गई राशि दोषी से वसूल करके जमा करवाई जाए।अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ग) उपरोक्त मोबाईल फोन एस.डी.एम. अम्ब के पास था। इसके व्यक्ति दूरभाष के बिल का भुगतान न्यास निधि में से करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा यह राशि दोषी से वसूल करके जमा करवाई जाए।

69. मास 4/04 के वाउचर संख्या 58 के द्वारा कुल 5216/=रु. की राशि मैo हिम आयुर्वैदिक मैडिसन प्रोसेस को दवाईयों के क्रय पर भुगतान की गई। इसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(क) यह क्रय बिना संविदा आमन्त्रित किया गया। अतः बाजार की प्रतिस्पर्धा दर का लाभ नहीं उठाया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया ज

(ख) इस भुगतान के विरुद्ध वास्तविक प्राप्ति रसीद अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई जो कि प्राप्त करे अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए

(ग) इस क्रय के विरुद्ध भण्डार इन्द्राज, वितरण व सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी से उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में नहीं दर्शाए गए। अपेक्षित कार्यवाही की अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

70 मास 4/04 के वाउचर संख्या 80 के द्वारा कुल 5000/=रु. की राशि मैo रोटरी क्लब पालमपुर को स्मारिका में विज्ञापन पर भुगतान की गई। इसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई ।

(क) इस भुगतान के विरुद्ध वास्तविक प्राप्ति रसीद अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई। अपेक्षित प्राप्ति रसीद प्राप्त करे अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ख) यह स्मारिका एक संस्था द्वारा मुद्रित की जानी थी तथा इसका प्रचलन उच्च स्तर पर नहीं है अत: इसमें विज्ञापन देने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार के व्यय को बन्द किया जाए।

71. मास 4/04 के वाउचर संख्या 1 के द्वारा मु0 10000/=रू. की राशि जिला आयुर्वेदिक अधिकारी उन्नाव को पंचकर्मा शिविर के आयोजन हेतु भुगतान की गई। इसमें निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई।

(क) इसके विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि अब प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(ख) पंचकर्मा शिविर का न्यास द्वारा आयोजित करने का क्या औचित्य था तथा इसका न्यास की गतिविधियों से क्या सम्बन्ध था। अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया जिसे अब स्पष्ट किया जाए।

72. मास 4/04 के वाउचर संख्या 84 के द्वारा मु0 4200/=रू. की राशि मै0 ओजोन सी.सी.टी.वी. सिस्टम को मोनीटर/कैमरे की मुरम्मत पर भुगतान की गई। इसमें निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई :-

(क) यह व्यय बिना संविदा आमन्त्रित किया गया। अत: बाजार की प्रतिस्पर्धा दर का लाभ नहीं उठाया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ख) इसकी मुरम्मत से सम्बन्धित इन्द्राज सम्बन्धित रजिस्टर जहाँ पर सामान दर्ज किया गया था, नहीं दर्शाए गए जिसके अभाव में इस व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। अपेक्षित कार्यवाही अब करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

73. मास 4/04 के वाउचर संख्या 66 के द्वारा मु0 28912/=रू. की राशि कैमरे के क्रय पर मै0 ओजोन सीसीटीवी सिस्टम को भुगतान की गई।

(क) इस भुगतान के विरुद्ध वास्तविक प्राप्ति रसीद अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जो कि अब प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें।

(ख) स्वीकृति नोट के अवलोकन पर पाया गया कि ये कैमरे मै0 वांसल इलैक्ट्रानिक द्वारा मुफ्त में दिए गए थे। लेकिन फर्म द्वारा बार बार भुगतान के लिए अनुरोध करने पर इसका भुगतान न्यास द्वारा किया गया। मै0 वांसल इलैक्ट्रानिक से ये कैमरे ~~[illegible]~~ क्यों नहीं लिए ग (जबकि उपरोक्त फर्म इन्हें दानस्वरूप देने में सहमत हो गई थी। का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

74.

74. 20.6.2003 के वाउचर संख्या 555 के द्वारा मु0 50000/=रू. की राशि लघु उत्सव 2003 की समीति को उन द्वारा मुद्रित की जाने वाली पत्रिका में विज्ञापन हेतु दी गई। इसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई।

(क) उपरोक्त उत्सव समीति द्वारा विज्ञापन की क्या दर निर्धारित की गई का कोई विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में भुगतानकी गई दर की औचित्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। विज्ञापन की उपरोक्त अपेक्षित दर की प्रति सम्बन्धित समीति से प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ख) विज्ञापन के स्मारिका में मुद्रित होने ~~बाबत~~ के प्रमाण में स्मारिका की प्रति अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई जो कि अब प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

75. 23.6.03 के वाउचर संख्या 575 के द्वारा मु0 60000/=रू. की राशि दवाईयों के क्रय पर मै0 चड्ढा मेडिकल एण्ड जनरल ऐजेंसी लघु को भुगतान की गई। इसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(क) उपरोक्त क्रय में NELSID नामक दवाई के 250 अदद टेबलेट शामिल थे। संविदा में इसकी दर मु0 2/=रू. प्रति टेबलेट थी जबकि बिल में इसकी दर मु0 2.50 रू. प्रति टेबलेट की दर से चार्ज की गई। परिणामस्वरूप संविदा दर से अधिक दर चार्ज करने के कारण मु0 0.50 रू. प्रति टेबलेट की दर से कुल मु0 125/=रू. की राशि का अधिक भुगतान किया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा यह अधिक भुगतान की गई राशि दोषी से वसूल करके जमा करवाई जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ख) बिल में निम्न राशियां संविदा दर पर बिक्री कर के रूप में अतिरिक्त चार्ज की गई जबकि संविदाओं के अवलोकन पर पाया गया कि संविदा दर पर बिक्री कर अतिरिक्त वसूल करने की कोई शर्त नहीं थी। संविदा दर पर बिक्री कर अतिरिक्त वसूल करने का औचित्य संविदा शर्तों के अन्तर्गत स्पष्ट किया जाए अन्यथा बिक्री कर के रूप में भुगतान की गई राशियां दोषी से वसूल करके जमा करवाई जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

...

बिल संख्या	बिक्री कर व सरचार्ज	कुल
1752	185+786+1804	2775
1753	270.32+456.64+1004.77	1731.73
1754	185.90+417.61+985.84	1589.41

(ग) ये दवाईयां सरकारी हस्पताल चिन्तपूर्णी को जारी की गईं लेकिन इसके विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया जो कि अब प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(घ) इस भुगतान के विरूद्ध वास्तविक प्राप्ति रसीद अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जो कि अब प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ङ.) संविदाओं से सम्बन्धित तुलनात्मक विवरणी उचित ढंग से तैयार नहीं की गई। इसे पूर्ण अनुसार तैयार करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

76. 22.8.03 के वाउचर संख्या 573 के द्वारा कु0 7000/=रु. की राशि श्री महेश कालिया को भरवाई में मेला अवधि में मैडिकल चैक पोस्ट हेतु कमरे के किराए के रूप में भुगतान की गई तथा भरवाई में हर मेले में इस उद्देश्य हेतु कमरा किराए पर लिया जाता है। न्यास के भरवाई में यात्री भवन में इस उद्देश्य हेतु धरातल पर एक अलग कैबिन बनाया गया था। इसे उपयोग में न लाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा यह राशि दोषी से वसूल करके जमा करवाई जाए। तथा अन्य ऐसे प्रकरणों की विभागीय जाँच करके भुगतान राशि दोषी से वसूल करके जमा करवाई जाए।

77. मास 8/03 के वाउचर संख्या 54 के द्वारा कु0 15612/=रु. की राशि श्री अश्वनी कुमार ठेकेदार को प्रशासनिक भवन चिन्तपूर्णी में सफेदी व रोगन आदि के कार्य हेतु भुगतान की गई। इसमें निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईं।

(क) निम्न प्रकरणों में निम्न मदों की मात्रा अंकेक्षण गणना अनुसार कम बनती थी लेकिन माप पुस्तक में अधिक दर्शाई गई परिणामस्वरूप प्रत्येक मद के आगे दर्शाई मात्रा का अधिक भुगतान हुआ जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि दोषी से वसूल करके जमा करवाई जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

.. ..

मद सं.	मद का नाम	माप पुस्तक पृ. सं.	अंकेक्षण गणना अनुसार मात्रा.	लगाई मात्रा.	दर	अधिक भुगतान
1.	[illegible]	34/3	388.98 एम2	396.43 एम2	1.60	12.00
2.	व्हाईट वाशिंग विद लाईम.	34/13	543.50 एम2	550 95 एम2	2.50	19.00
3.	[illegible] फिनिशिंग ऑन [illegible]	34/17	18.81 एम2	30.10 एम2	292	377.00
4.	पिनिशिंग वाल विद वाटर प्रूफ सिमेंट	34	167.64 एम 2	185.30 एम2	18	318.00
						726.00

(ख) मु0 5066/=रु. 50 प्रतिशत प्रतिभूति की राशि अन्तिम बिल में वापिस कर दी गई जबकि पी. डब्लू. डी. अनुबन्ध प्रपत्र के क्लाज 17 के अन्तर्गत कार्य समाप्ति के बाद तीन मास के बाद ही 50 प्रतिशत प्रतिभूति वापिस की जा सकती है। अनुबन्ध की उपरोक्त क्लाज की अनुपालना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ग) इस बिल में मु0 2680/=रु. की राशि *Earnest money* के रूप में वापिस की गई लेकिन यह राशि कब प्राप्त हुई तथा कहां जमा हुई थी का कोई विवरण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा यह विवरण अब तलाश करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

78. मास 10/03 के वाउचर संख्या 816 के द्वारा मु0 19960/=रु. की राशि श्री रोशन चन्द को शमशानघाट तक रास्ता व नाली के निर्माण कार्य पर भुगतान की गई। इसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

माप पुस्तक 35/12 में मद *Excavation in Drains and Channels in earthwork* की मात्रा अंकेक्षण गणना अनुसार 83.69 एम3 आंकी गई जबकि माप पुस्तक में 93 एम3 दर्शाई गई। परिणामस्वरूप 9.31 m मात्रा अधिक दर्शाई गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई उपरोक्त मात्रा

.. ..

की राशि रु0 68.55 प्रति एम.पी. की दर से जो कि रु0 638/=रु. बनती है दोषी से वसूल करके जमा करवाई जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

79. श्री वीर सिंह की सेवा पंजिका के अवलोकन पर पाया गया कि इन्हे 15.5.1990 से 950-1800 के वेतनमान में स्वागतकर्ता के पद पर नियुक्त किया गया तथा 1.4.1999 से इन्हे सहायक प्रबन्धक के पद पर पदोन्नत/नियुक्त करके इनका वेतन 5000-8100 के वेतनमान में निम्न रूप से निर्धारित किया गया।

तिथि	निर्धारित मूल वेतन
1.4.99	5000
1.4.2000	5160
1.4.01	5320
1.4.02	5480
1.4.03	5640
1.4.04	5800

इसके उपरान्त कार्यालय आदेश संख्या 61-63/टीटी दिनांक 27.5.04 के अन्तर्गत इन्हे 1.1.96 से 4400-7000 के वेतनमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थापित किया तथा सहायक प्रबन्धक का पद न्यास में न होने के कारण 1.5.2000 से 5800-9200 के वेतनमान में पदोन्नत करके वरिष्ठ सहायक पद पर तैनात कर दिया गया तथा निम्न अनुसार वेतन निर्धारण किया गया।

तिथि	निर्धारित वेतन
1.1.96	4400
1.1.97	4550
1.1.98	4700
1.1.99	4850
1.1.2000	5000
1.5.2000	5800
1.5.01	6000
1.5.02	6200
1.5.03	6400
1.5.04	6600

इसमे निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

...

(क) न्यास कर्मचारी बाईलाज़ के अन्तर्गत सहायक प्रबन्धक का न्यास में कोई पद नहीं था। अत: इस पद पर 1.4.1999 से इनकी इस पर पदोन्नति/नियुक्ति का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा गलत पदोन्नति के कारण न्यास को हुई वित्तीय हानि की विभागीय गणना करके दोषी से इसकी वसूली की जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में कराई जाए।

(ख) 1.5.2000 से इन्हें वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत/नियुक्त मान लिया गया जबकि इनकी इस पद पर पदोन्नति नियुक्ति के आदेश 27.5.2004 को किए गए तथा इनकी इस पद पर कार्य ग्रहण सूचना प्राप्त नहीं की गई। अगर इनकी कार्य ग्रहण सूचना पदोन्नति/नियुक्ति की तिथि से भी मान ली जाए तो इनको वरिष्ठ सहायक के पद पर वेतन निर्धारण कार्य ग्रहण की तिथि से देय होना था। पदोन्नति की तिथि से पूर्व वेतन निर्धारण का औचित्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए जबकि पदोन्नति तिथि से पूर्व उपरोक्त कर्मचारी ने इस पद पर कार्य ही नहीं किया था। अन्यथा निम्न विवरणानुसार देय वेतन तथा दिए गए वेतन के अन्तर की विभागीय गणना करके अधिक भुगतान की दोषी से वसूली करके जमा करवाई जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में कराई जाए।

तिथि	देय वेतन	दिया गया वेतन
1.1.96 से 31.12.96	4400	4400
1.1.97 से 31.12.97	4550	4550
1.1.98 से 31.12.98	4700	4700
1.1.99 से 31.12.99	4850	4850
1.1.2000से30.4.2000	5000	5000
1.5.00 से 31.12.00	5000	5800
1.1.01 से 30.4.01	5160	5800
1.5.01 से 31.12.01	5160	6000
1.1.02 से 30.4.02	5320	6000
1.4.02 से 31.12.02	5320	6200
1.1.03से 30.4.03	5480	6200
1.5.03 से 31.12.03	5480	6400
1.1.04 से 30.4.04	5640	6400
1.5.04से 25.5.04	5640	6600
27.5.04से 31.12.04	6000	6600

(ग) उपरोक्त कर्मचारी को 1.1.96 से 4400-7000 के वेतनमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थापित किया गया जबकि इनका मूलपद स्वागतकर्ता था। सरकारी नियमों के अन्तर्गत केवल लिपिक वर्ग के कर्मचारी ही कनिष्ठ सहायक पद के वेतनमान में स्थापित व आगे के पद पर पदोन्नत किए जा सकते हैं। इन्हे कनिष्ठ सहायक के वेतनमान में स्थापित करके तथा वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत करने का औचित्य नियमों के अधीन स्पष्ट किया जाए अन्यथा गलत वेतनमान में स्थापित करने वा वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत करने के परिणामस्वरूप किए गए भुगतान की विभागीय गणना करके दोषी से इसकी वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

80. 15.10.03 के वाउचर संख्या 789 के द्वारा मु0 110000/=रू. की राशि श्री एन.आर.शर्मा मन्दिर अधिकारी को चिकित्सा अग्रिम के रूप में भुगतान की गई। इसका समायोजन मास 12/03 के मु0 135041/=रू. के वाउचर संख्या 1014 के द्वारा किया गया इसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई ग

(क) उपरोक्त अधिकारी द्वारा चिकित्सा टैगोर हस्पताल जालन्धर से करवाई गई जबकि नियमों के अधीन राज्य से बाहर चिकित्सा हेतु निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हि0प्र0 की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित थी जो कि प्राप्त नहीं की गई। उपरोक्त अधिकारी से राज्य से बाहर टैगोर हस्पताल जालन्धर से चिकित्सा हेतु कार्योत्तर स्वीकृति/अनुमति अब प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(ख) चिकित्सा उपस्थिति नियम 1944 के अन्तर्गत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति सरकारी हस्पताल या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसे निजी हस्पताल जिन्हे सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा चिकित्सा हेतु मान्यता दी गई हो से चिकित्सा लेने पर ही की जा सकती है। लेकिन टैगोर हस्पताल की सरकारी कर्मचारियों की चिकित्सा हेतु मान्यता अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सरकार द्वारा इसकी मान्यता की प्रति प्राप्त करके स्वीकृत दरों सहित आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

.. ..

8. विविध :-

(1) अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि न्यास द्वारा Establishment Check Register नहीं बनाया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इसे भविष्य में तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(2) निम्नलिखित कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा पंजिकाएं सत्यापन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जो कि अब आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

क्रम सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद
1.	एम. आर. शर्मा	मन्दिर अधिकारी
2.	शेर सिंह	सेवादार

(3) भण्डार रजिस्टरों के अवलोकन पर पाया गया कि इनमें की गई अधिकतर प्रविष्टियां सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं थी जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही अब करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(4) अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि Dismentaled Stock का अलग रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अनुपालना हेतु परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में जो भी मुरम्मत की जाए उसके पुराने बदले गए सामान को अलग रजिस्टर (Unserviceable Register) में दर्ज करके नियमानुसार निलामी की जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई की जाए।

(5) इन्सीनेटर व जैनरेटरों की लाग बुकों के अवलोकन पर पाया गया कि इनके इन्द्राज किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं थे जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही अब की जाए। इसके अतिरिक्त इन्सीनेटर की लाग बुक के अवलोकन पर पाया गया कि यह कुछ समय के लिए चलाया गया तथा इसमें कूड़ा कर्कट जलाने में सफलता नहीं मिली। परिणामस्वरूप इसे बन्द कर दिया गया है। अंकेक्षण को मौखिक तौर पर स्पष्ट किया गया कि इसमें केवल सूखा कूड़ा कर्कट जैसे कागज आदि ही जलाए जा सकते हैं। इसके आवश्यकता अनुसार व्यवहारिक उपयोग की जांच क्रय करने से पूर्व न करने का औचित्य स[illegible] अन्यथा इसके क्रय व चलाने पर हुए व्यय को विभागीय

8I. **विविध :-**

§1§ अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि न्यास द्वारा Establishment Check Register नहीं बनाया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इसे भविष्य में तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

§2§ निम्नलिखित कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा पंजिकाएं सत्यापन हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गईं जो कि अब आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाएं।

क्र सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद
1.	एम. आर. शर्मा	मन्दिर अधिकारी
2.	शेर सिंह	सेवादार

§3§ भण्डार रजिस्टरों के अवलोकन पर पाया गया कि इनमें की गई अधिकतर प्रविष्टियां सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं थी जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही अब करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

§4§ अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि Dismantled Stock का अलग रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अनुपालना हेतु परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में जो भी मुरम्मत की जाए उसके पुराने बचे गए सामान को अलग रजिस्टर §Unserviceable Register§ में दर्ज करके नियमानुसार निलामी की जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई की जाए।

§5§ इन्सीनेटर व जेनरेटरों की लाग बुकों के अवलोकन पर पाया गया कि इनके इन्द्राज किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं थे जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अपेक्षित कार्यवाई अब की जाए। इसके अतिरिक्त इन्सीनेटर की लाग बुक के अवलोकन पर पाया गया कि यह कुछ समय के लिए चलाया गया तथा इसमें कूड़ा कर्कट जलाने में सफलता मिली। परिणामस्वरूप इसे बन्द कर दिया गया है। अंकेक्षण को मौखिक तौर पर स्पष्ट किया गया कि इसमें केवल शुष्क कूड़ा कर्कट जैसे कागज आदि ही जलाए जा सकते हैं। इसके आवश्यकता अनुसार व्यवहारिक उपयोग की जांच क्रय करने से पूर्व न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसके क्रय व चलाने पर हुए व्यय की विभागीय गणना करके

को हुई हानि हेतु दोषी के विरुद्ध उचित कार्यवाही करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(6) श्री बबली राम की नियुक्ति पर सेवा पंजिका में दर्ज जन्म तिथि के प्रमाण में प्रमाण पत्र की प्रति अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में जन्मतिथि का सत्यापन नहीं किया जा सका। अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दर्शाया जाए।

(7) न्यास के यात्री भवन भरवाई के बिजली के बिलों के अवलोकन पर पाया गया कि हि०प्र० विद्युत परिषद द्वारा बिल में एक किलोवाट लोड पर 100/=रु. प्रति किलोवाट प्रतिमास की दर से डिमांड चार्जिज लिए जा रहे हैं जिसके अनुसार 1.10.2004 से प्रभावित उपरोक्त दर अनुसार प्रत्येक बिल में खपत के अनुसार चार्ज दर के अतिरिक्त 248 किलोवाट लोड पर कु० 24800/=रु. की राशि डिमांड चार्जिज के रूप में चार्ज (मांग) व तदानुसार भुगतान की जा रही है। उपरोक्त भवन में इतने लोड की क्या आवश्यकता थी का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस लोड को आवश्यकता अनुसार कम करने हेतु पग उठाए जाएं ताकि डिमांड चार्जिज के रूप में भुगतान की जा रही राशि को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(8) अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि टेलीफोन के बिलों के भुगतान हेतु कोई रजिस्टर तैयार नहीं किया गया तथा इनका भुगतान सीधे ही किया जा रहा है। जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अनुपालना हेतु परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में प्रत्येक बिल को भुगतान से पहले टेलीफोन भुगतान रजिस्टर में दर्ज किया जाए तथा की गई काल्ज का उद्देश्य रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए तथा यह भी प्रमाणित किया जाए कि अंकेक्षण अवधि में टेलीफोन बिलों में चार्ज की गई कालें सभी सरकारी/न्यास के कार्य से सम्बन्धित थी।

(9) अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि निम्न राशियां गाड़ी संख्या एचपी-19-004 हेतु डीज़ल के क्रय व मुरम्मत पर व्यय की गईं। यह गाड़ी उपमण्डल अधिकारी अम्ब एवं सहायक आयुक्त मन्दिर न्यास चिन्तपूर्णी के स्वामित्व में थी। इस गाड़ी की लाग बुक प्रस्तुत न करने के कारण गाड़ी के न्यास गतिविधियों हेतु की गई यात्राओं की पुष्टि नहीं की जा सकी। परिणामस्वरूप इस व्यय की औचित्यता की पुष्टि नहीं हो

..

सकी। इस गाड़ी की लाग बुक आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए तथा अग
न्यास गतिविधियों के अतिरिक्त उद्देश्य के लिए कोई यात्रा की गई हो त
इसकी विभागीय गणना करके इसकी निजि यात्रा दर से वसूली की जाए। इसके अतिरिक्त उप मण्डल अधिकारी के पास सरकार द्वारा अलग से गाड़ी प्रदान की जाती है। अतः न्यास की तरफ से गाड़ी प्रदान करने का औचित्य भी स्पष्ट किया जाए।

तिथि	लैजर पृ०सं० व पुरम्मत रजिस्टर.	राशि	विवरण
21.5.03	200	4425	डीजल/पैट्रोल
26.6.03	200	2389	-"-
13.7.03	200	3283	-"-
20.11.03	202	4865	-"-
11.2.04	203	1224	-"-
21.2.04	203	1337	-"-
24.5.04	200	1045	-"-
15.6.04	200	3921	-"-
26.7.04	201	2722	-"-
12.8.04	201	1454	-"-
3.11.04	202	3427	-"-
10/04	121	21364	पुरम्मत
12/04	121	8377	पुरम्मत
10/03	वाउचर सं. 800	2062	डीजल/पैट्रोल
10/04	वाउचर सं 789	1420	पुरम्मत

§10§. निम्न गाड़ियों की लाग बुकों के अवलोकन पर पाया गया कि इनकी तेल की औसत खपत घटती बढ़ती रही है तथा इनके घटने बढ़ने के कोई ठोस कारण लाग बुक पर दर्ज नहीं किए गए तथा न ही इनकी कोई औसत निर्धारित की गई जिसके कारण इस घटती बढ़ती दर की औचित्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। अनुपालना हेतु परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में प्रत्येक गाड़ी की जांच करके इसकी तेल खपत निर्धारित की जाए तथा इस औसत को

चालक को अगली जांच तक या एक वर्ष जो भी पहले हो maintained करने के लिए कहा जाए तथा अगर इस निर्धारित औसत में अगर कोई कमी आती है तो इसकी सम्बन्धित चालक से वसूली की जाए।

गाड़ी संख्या एचपी-19बी-0009 :-

मास	औसत	मास	औसत
1/03	10.2 कि.मी./लीटर	11/03	9.56
2/03	10.4	12/03	9.73
3/03	12.3	1/04	9.97
4/03	10.2	2/04	9.53
5/03	10.03	3/04	9.59
6/03	11.21	4/04	9.18
7/03	11.42	5/04	9.70
8/03	11.49	6/04	9.50
9/03	10.96	7/04	10.84
10/03	8.72	8/04	9.67
9/04	10.40		
10/04	10.67		
11/04	9.78		
12/04	9.28		

गाड़ी सं. 20ए-3770 (एम्बुलेंस) :-

5/03	9.7	4/04	7.3
7/03	8.3	5/04	7.0
8/03	7.08	6/04	7.0
9/03	7.1	7/04	9.11
10/03		8/04	8.02
11/03	6.97	9/4	8.68
12/03	7.0	10/04	7.65
1/04	7.0	11/04	8.0
2/04	7.0		
3/04	7.0	12/04	8.0

.. ..

गाड़ी सं. एचपी-19ए-0666 (एम्बुलैंस) :-

मास	औसत
1/03	7.0
2/03	7.0
3/03	7.0
4/03	6.06
5/03	7.0
6/03	7.0
7/03	7.0
8/03	7.0
9/03	8.0
10/02	7.0
11/03	7.0
12/03	7.0
1/04	7.0
2/04	7.0
3/04	7.0
4/04	7.0
5/04	7.0
6/04	7.0
7/04	9.0
8/04	9.0
9/04	8.0
10/04	9.0
11/04	9.0
12/04	9.0

गाड़ी नं. 19ए-8587 (ट्रक) :

1/03	-	12/03	4.07
2/03	-	1/04	4.67
4/03	-	2/04	4.20
5/03	-	3/04	4.27
6/03	4.21	4/04	3.62
7/03	4.33	5/04	3.23
8/03	4.29	6/04	4.55
9/03	4.48	7/04	4.58
10/03	5.04	8/04	4.68
11/03	4.78	9/04	4.77
		10/04	4.93
		11/04	4.13

(11) गाड़ी सं. एचपी-19बी-0009 की लाग बुक के अनुसार निम्न प्रकरणों में गाड़ी का प्रयोग किया गया था परन्तु लाग बुक में प्रयोग का उद्देश्य नहीं ~~दर्शाया~~ दर्शाया गया और न ही अधिकारी का नाम जिस द्वारा गाड़ी प्रयोग में लाई गई का उल्लेख लाग बुक में किया गया। इसके अतिरिक्त गाड़ी की यात्रा भी किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी। रिकार्ड के अभाव में ऐसा प्रतीत होता है कि गाड़ी का दुरुपयोग किया गया है। अतः इस बारे तथ्यों सहित पूर्ण विवरण आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए तथा निजी यात्राओं के लिए अन्यथा दोषी से वसूली बाजार दर से करके मन्दिर निधि में जमा करवाई जाए।

दिनांक	स्थान	तय दूरी	अन्य विवरण
19.8.03	चिन्तपूर्णी से चण्डीगढ़	180	-
20.8.03	चण्डीगढ़ से चिन्तपूर्णी	240	चण्डीगढ़ से चिन्तपूर्णी की दूरी 180 कि.मी. है। अतः 240 कि.मी. की दूरी का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(12) गाड़ी सं. एचपी-19ए-0666(एम्बूलैंस) की लाग बुक की चयनित मासों में जांच करने पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों में गाड़ी द्वारा की गई यात्रा को मन्दिर कार्य हेतु दर्शाया गया परन्तु किस कार्य हेतु यात्रा की गई ऐसी टिप्पणी लाग बुक में दर्ज नहीं की गई थी। इस के अतिरिक्त किस कर्मचारी/अधिकारी द्वारा गाड़ी का उपयोग किया गया का कोई विवरण लाग बुक में वर्णित नहीं था। अतः उपरोक्त जानकारी के अभाव में की गई यात्रा उचित नहीं मानी जा सकती। अतः इन यात्राओं का उद्देश्य स्पष्ट करके सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापित करवाया जाए अन्यथा इन यात्राओं को निजी यात्रा मानकर सरकार द्वारा निर्धारित निजी यात्रा दर अनुसार विभागीय गणना करके दोषी से इसकी वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

दिनांक	तय दूरी	उद्देश्य	स्थान
2.8.03	15 कि.मी.	मन्दिर कार्य हेतु	चिन्तपूर्णी से भरवाईं
9.8.03	20 कि.मी.	-यथोपरि-	चिन्तपूर्णी से स्वाणा व वापिस.
27.4.04	56 कि.मी.	यथोपरि	चिन्तपूर्णी से सवाणा व अम्ब व वापसी.

(13) गाड़ी नं. एचपी-19बी-0009 की लाग बुक के अवलोकन पर पाया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ग" पर दर्शाए विवरणानुसार दर्शाई यात्राएं जिन उद्देश्यों हेतु न्यास की गाड़ी में की गई वह इतने महत्वपूर्ण नहीं जान पड़ते तथा ये उद्देश्य बस द्वारा यात्रा करने पर भी पूरे किए जा सकते थे। इन उद्देश्यों हेतु उपरोक्त गाड़ी का प्रयोग विशेष रूप से मन्दिर न्यास हित में करने का औचित्य क्रमवार स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त 9.10.2003 को चिन्तपूर्णी से जालन्धर तथा वापसी 210 किलोमीटर की यात्रा निजी दर्शाई गई लेकिन इस निजी यात्रा के लिए सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली नहीं की गई। अतः इस निजी यात्रा के लिए निर्धारित दर से विभागीय गणना करके उत्तरदायी से इसकी वसूली करें तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें ।

(14) मस्टररोलों के अवलोकन पर पाया गया कि इनमें दैनिक वेतन भोगियों जिनको भुगतान किया गया है कहां पर तैनात किए गए थे तथा इनसे क्या कार्य लिया जा रहा था का विवरण नहीं भरा गया था जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में अपेक्षित सूचना सम्बन्धित मस्टररोल में पूर्ण रूप में भरी जानी सुनिश्चित की जाए।

(15) भण्डार में पड़े शेष सामान का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जो कि अब किया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष के अन्त में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपयोग सामान की बिक्री/निलामी की जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

82. आपत्ति विवरणी :-

यह अलग से जारी नहीं की गई है।

83. निष्कर्ष :-

लेखाओं के रख रखाव में सुधार व कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है। मन्दिर न्यास प्रशासन को परामर्श दिया जाता है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के निपटारे हेतु विशेष ध्यान दें ।

संयुक्त निदेशक,
स्थानीय लेखा-परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

- 519

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल. ए.)एच(2)सी(15)14)-187/86-खण्ड-7,

.. ..-519-22 ... 2006

दिनांक, शिमला-171009,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास श्री चिन्तपूर्णी, जिला ऊना (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कारवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को शीघ्र प्रेषित करें ।
2. आयुक्त एवं सचिव (भाषा) हि०प्र० सरकार शिमला-2.
3. निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हि०प्र०, शिमला-171009.
4. आयुक्त मन्दिर एवं उपायुक्त, जिला ऊना हि०प्र०.

संयुक्त निदेशक,
स्थानीय लेखा-परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

परिशिष्ट 'क' – 104 – 62 –

अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा संख्या 3(ख)(1)

Bank Reconsolation statement as on 31.12.2004.

Balance as per Bank

S/No.	Name of Bank	A/C No.	Amount	
1.	K.C.C.B. Chintpurni	2206	23960.30	
2.	S.B.I. Chintpurni	24	8894672.14	
3.	S.B.I. Chintpurni	25	1940654.31	
4.	S.B.I. Chintpurni	37002	1047187.36	
5.	P.N.B. Bharwain	5266	5021199.00	
6.	P.O. Chintpurni	----	342.25	
7.	S.B.I. Chintpurni	28	564.02	
			16928579.38	**16928579.38**

Add.:-

Ch.no 67307 Dated 4.11.2004 Deposited
In Bank But not Encash upto 31.12.2004 Ch. 101.00 — 16928680.38

Less:-

Ch. Issued but not present for paymment up to 31.12.2004

S/No.	Ch. No.	Date	Amount	In cash date	
1.	910148	18.12.2004	20000.00	---------	
2.	910150	18.12.2004	14560.00	---------	
3.	910151	18.12.2004	7176.00	4.1.2005	
			41736.00		41736.00

Balance as per CashBook — **16886944.38**

परिशिष्ट 'ख'
अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा संख्या 3(ख) (2)

Detail of FDRs is on 31.12.2004

S/No	Name of Bank	FDR No.	Amount of FDR	Period	Instt on FDR	Amount of Maturity	Date of Maturity
1	S.B.I. Chintpurni	902298	5,000,000.00	3 Year	978,090.00	5,978,090.00	02.06.2006
2	S.B.I. Chintpurni	111032	10,653,948.00	3 Year	2,857,825.00	13,511,773.00	06.05.2005
3	S.B.I. Chintpurni	765072	5,000,000.00	3 Year	1,157,195.00	6,157,195.00	15.11.2005
4	S.B.I. Chintpurni	764457	6,003,463.[illegible]	3 Year	1,610,376.00	7,613,838.00	17.07.2005
5	S.B.I. Chintpurni	765220	10,824,330.[illegible]	3 Year	2,309,988.00	13,134,318.00	07.12.2005
6	S.B.I. Chintpurni	764021	10,877,470.[illegible]	3 Year	2,917,783.00	13,795,253.00	19.06.2005
7	S.B.I. Chintpurni	555242	5,853,469[illegible]	3 Year	991,471.00	6,844,940.00	19.10.2007
8	S.B.I. Chintpurni	903601	5,000,000[illegible]	3 Year	846,910.00	5,846,910.00	05.03.2007
9	S.B.I. Chintpurni	292054	5,000,000[illegible]	3 Year	846,910.00	5,846,910.00	12.08.2007
10	P.N.Bank Bharwain	542528	5,000,000[illegible]	3 Year	1,341,209.00	6,341,209.00	15.06.2005
11	K.C.C.B. Chintpurni	84828	6,717,065[illegible]	3 Year	1,254,835.00	7,971,900.00	15.02.2007
12	K.C.C.B. Chintpurni	80811	2,399,017[illegible]	3 Year	688,517.00	3,087,534.00	01.05.2005
13	K.C.C.B. Chintpurni	80694	14,365,540[illegible]	3 Year	4,122,909.00	18,488,449.00	19.04.2005
14	P.N.B. Mehatpur	836613	1,302,224[illegible]	3 Year	289,605.00	1,591,829.00	09.10.2005
15	S.B.P. Una	910789	3,804,286.00	3 Year	1,020,469.00	4,824,755.00	16.05.2005
16	S.B.P. Una	678452	720,788[illegible]	3 Year	153,822.00	874,610.00	22.12.2005
17	S.B.P. Una	678453	2,202,040[illegible]	3 Year	469,932.00	2,671,972.00	09.12.2005
18	K.C.C.B. Bharwain	82710	4,731,042[illegible]	1 Year	265,623.00	4,996,665.00	03.10.2005
19	K.C.C.B Mubarakpur	1350042	2,005,947[illegible]	1 Year	110,327.00	2,116,274.00	20.10.2005
20	K.C.C.B. Kasba Kotla	343542	2,254,938[illegible]	1 Year	524,273.00	2,779,211.00	17.10.2005
21	K.C.C.B Amb	220572	10,548,425[illegible]	1 year	592,241.00	11,140,666.00	25-11-2005
	Total		120,263,992.00		25,350,309.00	145,614,301.00	

मन्दिर अधिकारी
चिन्तपूर्णी
जिला ऊना (हि. प्र.)

परिशिष्ट 'क'

अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा संख्या 81(13)

दिनांक	अधिकारी का नाम	स्थान	तय दूरी	विवरण
2.8.03	श्री राज कुमार दो ट्रस्टीयों सहित	चिन्तपूरणी से जालन्धर व वापिस	275	मूर्तियों के क्रय हेतु
6.8.03	— यथोपरि —	— यथोपरि —	290	— यथोपरि —
31.8.03	— यथोपरि —	चिन्तपूरणी से ऊना, ऊना से जालन्धर व वापिस चिन्तपूरणी	248	ऊना महोत्सव में मूर्तियों के क्रय हेतु।
6.10.03	श्री के.आर. शर्मा	चिन्तपूरणी से जालन्धर व वापिस	220	मन्दिर के लिए सेफ देखने हेतु।
9.10.03	— यथोपरि —	— यथोपरि —	210	निजी यात्रा
24.10.03	— यथोपरि —	— यथोपरि —	245	दिवाली गिफ्ट के क्रय हेतु।

25.10.04	— पेपापार —	चिन्तपुरणी से अम्ब, ऊना, ऊना स्थानीय तथा वापिस	145	दिवाली गिफ्टस को बाँटने हेतु।
1.4.04	— पेपापार —	चिन्तपुरणी से स्वाणा, ढलियारा अम्ब, लोबारा अम्ब व वापिस	99.	स्वाणा फुलबाड़ी तथा अम्ब से बि… कनेक्शन के लिए फार्म लेने हेतु।
8.4.04.	— पेपापार —	चिन्तपुरणी से मुबारकपुर व वापिस	30	फर्नीचर के क्रय हेतु।
9.4.04.	— पेपापार —	चिन्तपुरणी से लोपखाना व वापिस	331	लिफाफों के व अन्य सामग्री … हेतु।
15.4.04	— पेपापार —	चिन्तपुरणी से होशियारपुर व वापिस	137	पत्तल व अन्य सामान के क्रय…
21.4.04.	— पेपापार —	चिन्तपुरणी से चण्डीगढ़ व वापिस	352	वास्तुकार को काम और चर्चा… हेतु गए।